घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 322- गुरूवार 24- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल...36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी नियुक्त

छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभारी बनाया गया

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारियों की नई नियुक्तियां की हैं। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ भाजपा की नई प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उन्हें हरियाणा का भी प्रभार दिया गया है, जबकि सिद्धार्थ शंभु को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भाजपा की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। संगठनात्मक राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को देखते हुए उन्हें महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा थी। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नई सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों,सांसदों और संगठन के अनुभवी नेताओं को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार,अंडमान-निकोबार के प्रभारी जय प्रकाश (दिल्ली), अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी डॉ. देवेश कुमार (बिहार) और आंध्र प्रदेश के प्रभारी डॉ. अरविंद भदौरिया होंगे। आंध्र प्रदेश में वनथी श्रीनिवासन को सह-प्रभारी बनाया गया है। असम की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है,जबकि फांगनोन कोन्याक और मनोज टिग्गा सह-प्रभारी होंगे। बिहार का प्रभार हरीश द्विवेदी को सौंपा गया है। उनके साथ संगीता यादव और रोहन गुप्ता सह-प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। चंडीगढ़ के प्रभारी महेंद्र पांडे होंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभारी और सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी बनाया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन-दीव की जिम्मेदारी वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी को दी गई है। दिल्ली में डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे प्रभारी होंगे। उनके साथ जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शनाबेन जरदोश सह-प्रभारी के रूप में काम करेंगी। गोवा में डॉ. भारती प्रवीण पवार को प्रभारी और अनिल एंटनी को सह-प्रभारी बनाया गया है। गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभार राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को सौंपा गया है। उनके साथ अजय महावर और गोमती साई सह-प्रभारी होंगे। हरियाणा में भी स्मृति ईरानी को प्रभारी बनाया गया है,जबकि डॉ. भोला सिंह सह-प्रभारी होंगी। हिमाचल प्रदेश में श्रीकांत शर्मा प्रभारी और दर्शना सिंह सह-प्रभारी होंगी। जम्मू-कश्मीर में डॉ. सतीश पूनिया को प्रभारी और रीना कश्यप को सह-प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में गजेंद्र पटेल प्रभारी होंगे। सौरभ सिंह और निवेदिता सिंह (बिहार) सह-प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगी। कर्नाटक का प्रभार हरीश द्विवेदी को दिया गया है और डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू सह-प्रभारी होंगे। केरल में प्रो. एम. नागराजा प्रभारी और एम. वेंकटेशन सह-प्रभारी बनाए गए हैं। लद्दाख में राजकुमार भाटिया (दिल्ली) और लक्षद्वीप में जॉर्ज कुरियन को प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को प्रभारी और रेखा वर्मा को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में बैजयंत जय पांडा प्रभारी होंगे। उनके साथ अमित मालवीय,सदानंद शेट तनावड़े और कमलजीत सहरावत सह-प्रभारी बनाए गए हैं। मणिपुर में डॉ. राजदीप रॉय, मिजोरम में डॉ. भगवत कराड,नगालैंड में अनिल एंटनी और पुडुचेरी में के. सुरेंद्रन को प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान में संजय भाटिया को प्रभारी बनाया गया है। कविता पाटीदार और कुलजीत चहल सह-प्रभारी होंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभार विनोद तावड़े को सौंपा गया है। उनके साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में राम माधव प्रभारी होंगे,जबकि अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज सह-प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगी। पश्चिम बंगाल का प्रभार सुनील बंसल को दिया गया है। उनके साथ लाल सिंह आर्य,राजेंद्र सिंह (बिहार) और पिंकी कुशवाहा (बिहार) सह-प्रभारी होंगे। भाजपा की नई नियुक्तियों को संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं के साथ पूर्व मंत्रियों और सांसदों को भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाए जाने पर सीएम साय ने दी बधाई,बोले...संगठन और जनसेवा के संकल्प को मिलेगी मजबूती

भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर स्मृति ईरानी और नवनियुक्त सह-प्रभारी सिद्धार्थ शम्भू को भी शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर वह उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी का दीर्घकालिक राष्ट्रीय अनुभव, राष्ट्रसेवा और संगठन के प्रति समर्पण छत्तीसगढ़ में भाजपा के संगठन तथा जनसेवा के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएगा।

बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड, 17.79 लाख पार

देहरादून,23 सितम्बर 2026। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। 22 सितंबर तक 153 दिनों में 17 लाख 79 हजार 805 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के कपाट बंद होने में अभी करीब डेढ़ से पौने दो माह का समय शेष है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में बद्रीनाथ धाम में 6 लाख 95 हजार 332 श्रद्धालु पहुंचे थे। वर्ष 2007 में यह संख्या बढ़कर 7 लाख 68 हजार 107 हुई। वर्ष 2008 और 2010 में श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंची,लेकिन 2014 की आपदा के कारण यह आंकड़ा घटकर 1 लाख 59 हजार 575 रह गया। वर्ष 2018 में 10 लाख 48 हजार 51 और 2019 में 12 लाख 44 हजार 993 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कोरोना संक्रमण के कारण 2020 में 1 लाख 55 हजार 55 और 2021 में 1 लाख 99 हजार 409 श्रद्धालु ही धाम पहुंच सके। वर्ष 2022 से यात्रा में फिर तेजी आई। 2022 में 17 लाख 63 हजार 578, 2023 में 17 लाख 80 हजार 429, 2024 में 17 लाख 74 हजार 264 और 2025 में 17 लाख 78 हजार 298 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस वर्ष 22 सितंबर तक यह संख्या 17 लाख 79 हजार 805 हो चुकी है। मंगलवार को भी 6,685 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए धामों और यात्रा पड़ावों पर यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम को उसके धार्मिक और पौराणिक महत्व के अनुरूप भव्य, दिव्य एवं सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

ईडी ने 54 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 37 किलो सोना किया जब्त

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-1 ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 54 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित मूल्य का 37.064 किलोग्राम सोना अस्थायी रूप से जब्त किया है। जब्त सोने में 29 बड़े आकार की सोने की छड़ें और 50 छोटे आकार के सोने के टुकड़े शामिल हैं। इसके अलावा करीब 13 ग्राम वजन के चांदी जैसे रंग के धातु के टुकड़े भी जब्त किए गए हैं। ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई अक्षय परशुराम बानसोडे और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामले में की गई है। असम पुलिस ने 30 जून को गुवाहाटी के खारघुली हातिसिल इलाके में अक्षय परशुराम बानसोडे के कब्जे से यह सोना बरामद किया था। फिलहाल सोना गुवाहाटी स्थित कामरूप मेट्रो कोषागार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। ईडी ने असम के कामरूप मेट्रो जिले के लतासिल थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

एसआईआर पर 2 चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति जताई

चुनाव आयोग बोला...यह सामान्य प्रक्रिया,राहुल ने कहा...वोट चोरी में शामिल,तो नहीं बख्शेंगे

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयुक्तों में मतभेद से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। आयोग ने कहा कि किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इस मामले में राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर वोट चोरी को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि समय आने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्तियां ज्ञानेश कुमार को भी भेजीं : चुनाव आयुक्तों में मतभेद का विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। यह रिपोर्ट 23 सितंबर को पब्लिश की गई। इसके मुताबिक,चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कहा कि कई फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए। आयोग के फैसलों पर 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच 14 बार लिखित आपत्ति जताई गई। इनमें 16 अप्रैल को चार आपत्तियां दर्ज की गई। इन आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गईं। कुछ आपत्तियां उन उप चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गईं,जो संबंधित काम की निगरानी कर रहे थे। यह विवाद बिहार से जून 2025 में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के बीच सामने आया है।

- **राहुल गांधी-** मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये राजद्रोह है,देश के खिलाफ है। टाइम आएगा। हम आपको पकड़ेंगे। बचने वाले नहीं हो।
- **सपा प्रमुख अखिलेश यादव-** सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मामले की खुद जांच करे।
- **आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल-** वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार सिर्फ ईआरओ को है, फिर दिल्ली में बैठे लोग पूरे देश की वोटर लिस्ट कैसे बदल रहे हैं?
- **ममता टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष-** एसआईआर की खामियों और अव्यवस्था' की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की है। किसके निर्देश पर नागरिकों को कथित तौर पर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।
- **यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे-** महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैलट पेपर का उपयोग करके फिर से चुनाव होने चाहिए।
- **आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज-** सभी विपक्षी दलों को पहले चुनाव आयोग से जुड़े इस मुद्दे को उठाना चाहिए और आयोग को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए।

वायु सेना के लिए 811 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स...

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। 'आत्मनिर्भर भारत' को बड़ा बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ 811 करोड़ रुपये का करार किया है। इससे भारतीय वायु सेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स खरीदे जाएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया। 100 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाले इन उपग्रह निर्देशित बमों को भारतीय लड़ाकू विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से लॉन्च कर सकते हैं। प्रवासीनेटवर्क जुड़ें स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (एसएएडब्ल्यू) भारत का अत्याधुनिक उपग्रह निर्देशित और सटीक मार करने वाला बम है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई अड्डों और रनवे को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया

है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीई) ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह हथियार सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीकर तकनीक से लैस है, जो इसे दिन या रात किसी भी समय बेहद सटीक निशाना लगाने की क्षमता देता है। इसका वजन लगभग 125 किलोग्राम है। अपने हल्के वजन के कारण इसे एक ही लड़ाकू विमान (जगुआर या सुखोई-30) से कई की संख्या में ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक इसका उपयोग दुश्मन के रनवे, बंकर, विमान हैंगर, रडार हब और अन्य मजबूत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारतीय वायु सेना और डीआरडीओ ने सुखोई-30 और जगुआर लड़ाकू विमानों से इसके कई सफल परीक्षण किए हैं। इसके दो वेरिएंट्स का परीक्षण किया गया है, जिनमें एक सैटलाइट गाइडेंस पर काम करता है और दूसरा जो इन्फ्रारेड सीकर तकनीक का उपयोग करता है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक गाइडेड ग्लाइड बम है, जिसे जगुआर, हॉक और सुखोई-30 एमकेआई जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लंबी दूरी से दुश्मन के एयरफील्ड को बेअसर करने की क्षमता है।

कानूनी शिक्षा पर बीसीआई की शक्तियों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस महत्वपूर्ण सवाल की जांच करेगा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को नियंत्रित करने तथा कानूनी शिक्षा के नियमन की शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि बीसीआई कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने वाला विशेषज्ञ निकाय किस आधार पर है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि बीसीआई सामान्य दिशा-निर्देश तय कर सकता है, जैसे विधि पाठ्यक्रम की अवधि चार या पांच वर्ष निर्धारित करना, लेकिन कानूनी शिक्षा पर उसका पूर्ण नियंत्रण होने के सवाल की जांच आवश्यक है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि क्या बीसीआई के पास विधि विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को नियंत्रित करने का वैधानिक अधिकार है। पीठ के अनुसार, यदि इस मूल प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो मामले से जुड़े अन्य मुद्दों का समाधान भी हो सकता है।

मेघालय में 8 यूडीपी एमएलए भाजपा में शामिल

बीजेपी विधायकों की संख्या 2 से बढ़कर 10 हुई

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। मेघालय की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के आठ विधायक बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में लहकमन रिंबुई, पियस मारवीन,किर्मेन शायला, मायरेलबार्न सिएम,मैथ्यू कुर्बाह,ओलान सिंह सुइन, बालाजिएड कुफर सिनरेम और सिनशर कुफर रॉय शामिल हैं। यूडीपी विधायकों का पार्टी में स्वागत करते हुए रिजिजू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और मेघालय की प्रगति को देखते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, यह न सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत जरूरी राजनीतिक घटनाक्रम है। रिजिजू ने कहा...ये सभी आठ विधायक प्रधानमंत्री मोदी और हमारी भाजपा की अगुवाई

वाली एनडीए सरकार के काम से बहुत प्रभावित थे। इससे उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में,नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए पार्टी के कोऑर्डिनेटर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने उन आठ यूडीपी विधायकों के नामों की घोषणा की जो भगवा पार्टी में शामिल हुए। पात्रा ने कहा, हम उनसे बात कर रहे थे। इस बीच, मेघालय के मंत्री लखमेन रिम्बुई, जो बुधवार को सात दूसरे यूडीपी विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए, ने कहा कि यह कदम खासी और गारो को संविधान के आठवें शेड्यूल में शामिल करने और राज्य के लिए अधिक केंद्रीय मदद जैसे मुद्दों पर पार्टी से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा, यह कोई अचानक हुई बात नहीं है। इस पर कुछ समय से चर्चा चल रही थी। अब तक,60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के दो विधायक और यूडीपी के 12 विधायक थे। दोनों पार्टियां पहाड़ी राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन का समर्थन कर रही हैं। वहीं यूडीपी के आठ विधायकों के पाला बदलने के बाद विधानसभा में भाजपा की संख्या दो से बढ़कर 10 हो गई है।

पूर्व सांसद आमिर आलम खान समेत उत्तर प्रदेश के 10 से अधिक नेता कांग्रेस में शामिल

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद आमिर आलम खान, पूर्व विधायक नवाजिस आलम, इंडियन मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अकरम, मोहम्मद मूसा समेत 10 से अधिक नेता बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सभी नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आमिर आलम खान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज देश में साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी में आने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद इमरान मसूद ने उन्हें प्रेरित किया, जिसके लिए उन्होंने उनका आभार जताया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सभी नए सदस्यों का कांग्रेस में स्वागत किया। गौतम ने कहा कि यह केवल चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि देश को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वहां जनता के मताधिकार को चुराया जा रहा है।

मायावती ने ईशान आनंद को बनाया बसपा का राष्ट्रीय संयोजक

लखनऊ,23 सितम्बर 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। इससे पहले यह पद आकाश आनंद के पास था, लेकिन मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ईशान आनंद ने बैठक में मौजूद सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें बसपा के राष्ट्रीय संयोजक की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हू कि पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वह कभी निराश नहीं करेंगे। इसके बाद ईशान ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर मायावती ने बुधवार को लखनऊ में बीएसपी की ऑल-इंडिया स्तर की विशेष बैठक की। बैठक में इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बसपा द्वारा अकेले लड़ने की तैयारियों और उम्मीदवार चयन को लेकर पिछले दिशा-निर्देशों के अमल की समीक्षा की गई।

संपादकीय

फूहड़ और विषाक्त होती राजनीति

इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इसलिए अधिक चर्चा में रहा,क्योंकि इसमें एक कामेडियन को बुलाकर उससे प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री कराई गई। राहुल गांधी इस कामेडियन के सहयोगी के रूप में उत्साहित होकर उसका साथ देते नजर आए। नेताओं,अभिनेताओं और अन्य नामचीन लोगों की मिमिक्री कोई नई-अनोखी बात नहीं है,लेकिन यह अजीब ही कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को उजागर करने के लिए अपने मंच पर एक कामेडियन को बुलाकर प्रधानमंत्री की मिमिक्री कराना पसंद किया। इस मिमिक्री के जरिये प्रधानमंत्री की विदेश नीति की रीति-नीति का मजाक उड़ाया गया। इसी क्रम में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से एक बुर्जुग महिला को कुर्सी देने के आग्रह का भी मजाक उडाया गया। यह निहायत भोंडा और जुगुप्सा पैदा करने वाला रहा। आखिर किसी बुर्जुग महिला को कुर्सी उपलब्ध कराने के सहज मानवीय व्यवहार का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है,लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।

आजकल कामेडी के नाम पर भोंडेपन की हद पार होने लगी है, लेकिन नेता-प्रतिपक्ष के मंच से ऐसा होना यह बताता है कि राजनीति किस तेजी के साथ स्तरहीन होती जा रही है। यह स्तरहीनता राजनीति को फूहड़ और विषाक्त ही बना रही है। इसमें सभी दलों का योगदान है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। राजनीतिक दल अब विरोधी दल को प्रतिस्पर्धी के स्थान पर शत्रु के रूप में देखने लगे हैं। उनके बीच का यह शत्रुभाव अब समाज में भी घर करने लगा है। राहुल गांधी के मंच से पहली बार प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति का भद्दे तरीके से मजाक नहीं उड़ाया गया। कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ था और तब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का अमर्यादित तरीके से उल्लेख किया गया था। यह उल्लेख कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने किया था और उनके ऐसा करने पर राहुल गांधी हंसते हुए दिखाई दिए थे।

कांग्रेस ने इस प्रसंग का भी बचाव किया था। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह तू-तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। वह उन्हें चोर,डरपोक आदि कह चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं कि वह मुझसे आंख नहीं मिला सकता..डरता है। जब भाजपा राहुल गांधी के ऐसे कृत्यों और कथनों का विरोध करती है तो कांग्रेसजन उनका जोर-शोर से समर्थन करने के लिए आगे आ जाते हैं। इस पर कई बार भाजपा नेताओं की ओर से भी राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं। इस तरह भारतीय राजनीति हर दिन पहले से अधिक स्तरहीन होती जा रही है और भाषा की मर्यादा की कोई परवाह नहीं कर रहा है।

आम तौर पर पहले चुनावों के दौरान ही राजनीतिक दलों के बीच एक-दूसरे के प्रति तीखी बयानबाजी होती थी और इस क्रम में कई बार अमर्यादित और अशालीन टिप्पणियां कर दी जाती थीं,लेकिन अब ऐसा सदैव होता रहता है और यहां तक कि संसद के भीतर भी। संसद के बाहर इसके कैसे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं,इसका उदाहरण है बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाना। कांग्रेस ने गाली देने वाले का बचाव तो नहीं किया,लेकिन उसे भाजपा का ही एजेंट करार दिया।

पिछले दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कैमरे के सामने जमकर भद्दी गालियां दी गईं। इस दौरान गालियों वाले पोस्टर भी नजर आए। गालियां देने वालों में लड़के-लड़कियां, दोनों थे। किसी भी विरोधी राजनीतिक दल ने इन गालियों का विरोध नहीं किया। काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इन गालियों को हल्के मजाक की संज्ञा दी।

नारीवादियों ने प्रश्न किया कि क्या बुरा इसलिए लग रहा है कि जेन-जी लड़कियों ने मां-बहन की गालियां दीं? कुल मिलाकर गालीबाजी का बचाव ही किया गया। राजनीतिक मंचों पर भाषाई मर्यादा का उल्लंघन तो कभी-कभार ही देखने को मिलता है,सोशल मीडिया कहे जाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर यह हर दिन देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों के आईटी सेल वालों के बीच विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने और उनका भोंडे तरीके से मजाक उड़ाने की होड़ लगी है। इस काम में एआई का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।
डिजिटल मीडिया पहले से ही विषाक्त था,राजनीतिक दलों के आईटी सेल वालों ने उसे और विषाक्त कर दिया है। चूंकि राजनीतिक दलों के आईटी सेल वाले विरोधी दलों के नेताओं का मान-मर्दन करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं,इसलिए इन दलों के खुले-छिपे समर्थक मर्यादा की सारी हद पार किए जा रहे हैं। वे विरोधी दलों के नेताओं को नीचा दिखाने के लिए फर्जी खबरें,फोटो और वीडियो थोक के भाव बना रहे हैं।

भाषाई मर्यादा का उल्लंघन केवल कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की ओर से ही नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही अन्य दलों के नेताओं या उनके आईटी सेल वालों की ओर से भी किया जा रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा समर्थक ऐसा ही करने में लगे हुए हैं। अन्य चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा ही होता हुए दिखे तो हैरानी नहीं।

मरीज की मजबूरी का एमआरपी कौन लिख रहा है?

डकैती हुई,मगर हथियार नहीं – एक एमआरपी थी...

एक मरीज,एक दवा और दिनदहाड़े डकैती का पूरा तंत्र

रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

कैंसर के इलाज की हर अगली खुराक के साथ परिवार की एक उम्मीद जुड़ी होती है। ऐसे में जब निर्माता खुदरा विक्रेता को दवा लगभग ₹2,700 (पीटीआर - प्राइस टू रिटेलर) में बेचता है, लेकिन उस पर एमआरपी ₹ 27,000 छपी होती है,तो यह केवल कीमत बढ़ना नहीं, मजबूरी को दस गुना महंगा करना है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ–जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता–के सामने यही तथ्य आया तो अदालत ने इसे मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती बताया। यह टिप्पणी उस कठोर सच को सामने लाती है,जहां किसी अपने को बचाने के लिए परिवार जमीन बेचता है, गहने गिरवी रखता है और जीवनभर की बचत झोंक देता है,फिर भी दवा की कीमत के आगे असहाय रहता है। दवा का काम जीवन बचाना है,परिवार की जमा-पूंजी खत्म करना नहीं। जीवनरक्षक दवाओं की कीमत ऐसी होनी चाहिए, जहां इलाज की उम्मीद मजबूत हो और आर्थिक विवशता कमजोर।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

दवा पर मुनाफा अनुचित नहीं, लेकिन जीवनरक्षक दवा की कीमत मनमानी कैसे स्वीकार्य हो? सवाल है–मुनाफे की सीमा कौन तय करेगा? एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के तहत अनुसूचित दवाओं के अधिकतम निर्धारित मूल्य की व्यवस्था है, लेकिन बड़ी संख्या में दवाएं गैर-अनुसूचित हैं। याचिका में लगभग 82 प्रतिशत दवाओं के इसी दायरे में होने और शुरुआती कीमत तय करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यही नियमन की बड़ी कमजोरी है। कीमत तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी न हो,तो एमआरपी अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं, मरीज की मजबूरी की अधिकतम कीमत बन सकती है। सवाल सीधा है–जब दवा खुदरा विक्रेता को ₹2,700 (पी टी आर) में मिलती है,तो ₹27,000 की एमआरपी किस आधार पर?

कीमत तब समस्या है,जब नियम हों और निगरानी गायब। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश,2013 ने कीमतों पर नियंत्रण का ढांचा बनाया,लेकिन गैर-अनुसूचित दवाओं की मूल्य-व्यवस्था और निगरानी अब भी सवालों में है। एनपीपीए गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों पर निगाह रखता है और सामान्य परिस्थितियों में सालाना मूल्यवृद्धि की सीमा 10 प्रतिशत है। फिर भी शुरुआती कीमत और बाजार मूल्य के बीच असामान्य अंतर खत्म नहीं हुआ। सवाल है–जिस व्यवस्था का काम मरीज को कीमत की मनमानी से बचाना है, उसकी निगाह तब क्यों पड़ती है, जब दवा उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी होती है? अदालत ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। सवाल एक विभाग का नहीं,पूरी नियामक व्यवस्था का है–जब मरीज की जेब कट रही थी, तब निगरानी तंत्र कहां था?

मरीज अस्पताल पहुंचता है इलाज के लिए,लेकिन कई बार वहीं उसकी खरीदने की मजबूरी शुरू हो जाती है। आरोप है कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों को अपनी इन-हाउस फार्मेसी से दवा लेने के लिए बाध्य करते हैं,जिससे बाहर उपलब्ध सस्ती दवा का विकल्प लगभग खत्म हो जाता है। बीमारी में मरीज के पास न मोलभाव की ताकत होती है,न विकल्प तलाशने का समय। डॉक्टर पर भरोसा,अस्पताल पर निर्भरता और दवा की तत्काल जरूरत–तीनों उसे ऐसा खरीदार बना देते हैं,जिसके पास नहीं कहने का विकल्प नहीं बचता। या तो महंगी दवा खरीदिए या इलाज के जोखिम को स्वीकार कीजिए। बाजार इसे बिक्री कह सकता है,लेकिन मरीज के लिए यह मजबूरी है। मजबूरी से कमाया हर अतिरिक्त रुपया केवल व्यापारिक लाभ नहीं, गंभीर नैतिक सवाल है।

मरीज की जेब का बोझ जब सरकारी खजाने तक पहुंचे, तो मामला केवल महंगी दवा का नहीं रहता। अस्पताल ऊंची कीमत पर दवा खरीदता है और सरकारी योजना से प्रतिपूर्ति लेता है। यानी बढ़ी कीमत सार्वजनिक धन पर भी बोझ बनती है। अदालत के सामने आयुष्मान भारत सहित सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में बढ़ी दवा कीमतों पर प्रतिपूर्ति को लेकर चिंता जताई गई, जिसे अदालत ने स्पष्ट धोखाधड़ी और टैक्सपेयर के पैसे का नुकसान बताया। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को इलाज के आर्थिक बोझ से बचाना है। कीमतों में पारदर्शिता कमजोर हो, तो राहत का पैसा मरीज तक पहुंचने के बजाय मूल्य-श्रृंखला में कहीं और जा सकता है। यह केवल सरकारी धन का नुकसान नहीं,कल्याणकारी व्यवस्था के भरोसे पर चोट है।

कीमत का अंतर जितना बड़ा, जवाबदेही का सवाल उतना सीधा। दवा निर्माता,वितरक,विक्रेता,अस्पताल और नियामक–हर कड़ी की भूमिका है; किसी एक को दोषी ठहराने से समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन ₹2,700 (पी टी आर) की दवा जब ₹27,000 की एमआरपी तक पहुंचती है, तो इस अंतर का पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। वास्तविक लागत कितनी है, निर्माता का लाभ कितना, वितरक कितना जोड़ता है, अस्पताल कितना बढ़ाता है और मरीज कितना चुकाता है–पूरी मूल्य-श्रृंखला पारदर्शी क्यों नहीं हो सकती? एनपीपीए के पास कीमतों की निगरानी और शिकायत की व्यवस्था है, लेकिन सवाल निगरानी के अस्तित्व का नहीं, उसकी प्रभावशीलता का है–क्या वह असामान्य कीमत को मरीज की मजबूरी बनने से पहले रोक सकती है?

स्वास्थ्य का अधिकार तब बेमानी है, जब इलाज मरीज की पहुंच से बाहर हो। कैंसर से लड़ते परिवार के सामने बीमारी होनी चाहिए,दवा की कीमत नहीं। ₹2,700 (पीटीआर) की दवा ₹27,000 की एमआरपी पर बिकना सिर्फ दस गुना कीमत नहीं, उस व्यवस्था का आईना है जो यह अंतर रोक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इसी मौन पर सवाल उठाया है। अब सरकार को मूल्य-नियंत्रण की खामियां दूर, नियामक को सक्रिय और दवा की पूरी मूल्य-श्रृंखला पारदर्शी करनी होगी; अस्पतालों में मरीज की दवा खरीदने की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करनी होगी। अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को है। लेकिन असली सवाल आज का है–जीवन बचाने वाली दवा परिवार को आर्थिक संकट में धकेले, तो जवाबदेह कौन? अदालत का दिनदहाड़े की डकैती÷कहना केवल टिप्पणी नहीं,पूरे स्वास्थ्य तंत्र के सामने खड़ा सवाल है।

राजनीति की बेलगाम ज़ुबान और नफ़रत का खेल,किस दिशा में जा रहा है देश?

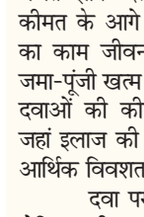

भारतीय लोकतंत्र का आधार विविधता,सहअस्तित्व और विचार-विमर्श की समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हाल के वर्षों में राजनीतिक विमर्श का स्तर जिस तेज़ी से गिरा है, वह अत्यंत चिंताजनक है।

डॉ .मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

चुनाव जीतने और सत्ता बचाने की होड़ में जिस प्रकार बेलगाम बयानबाज़ी हो रही है तथा समाज को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में झोंका जा रहा है, उसने देश के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

आवेश में दिए गए बयान और गिरता राजनीतिक स्तर

आज राजनीति जनसेवा तथा शिक्षा,स्वास्थ्य, रोज़गार व अर्थव्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दों से हटकर जनभावनाओं को भड़काने का ज़रिया बनती दिख रही है। नेता मंच संभालते ही आवेश में आकर ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जो सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देती है। मुद्दों से भटकाव, जब काम और विकास के नाम पर वोट मांगना कठिन प्रतीत होने लगता है, तब धार्मिक ध्रुवीकरण को सबसे

आसान रास्ता मान लिया जाता है। संवेदनहीनता,आवेश में दिए गए बयान भले ही तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए हों,लेकिन इनका ख़ामियाज़ा आम जनता को सांप्रदायिक तनाव, अविश्वास और भय के माहौल के रूप में भुगतना पड़ता है।

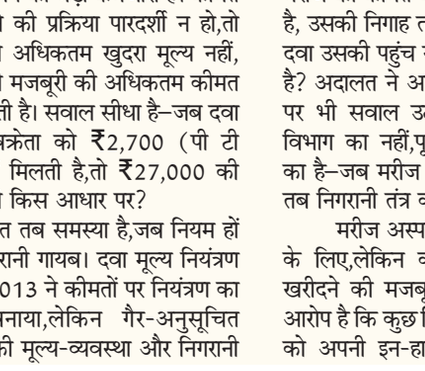

देश किस दिशा में जा रहा है?

नफ़रत और ध्रुवीकरण की यह राजनीति देश को एक अत्यंत ख़तरनाक मोड़ पर ले जा रही है,सामाजिक ताने-बाने का बिखराव,भारत की मूल ताक़त उसकी विविधता में एकता रही है। जब आमजन के बीच धर्म के आधार पर अविश्वास का बीज बो दिया जाता है, तो समाज भीतर से कमज़ोर होने लगता है। आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव,कोई भी देश नफ़रत और अशांति के वातावरण में प्रगति नहीं कर सकता। निवेशक और उद्योग ऐसे माहौल से दूर रहते हैं जहाँ सामाजिक स्थिरता का अभाव हो।

युवाओं का दिशाभ्रम,देश की जिस युवा ऊर्जा का उपयोग शिक्षा,नवाचार और निर्माण में होना चाहिए था,वह अक्सर इस प्रायोजित वैमनस्य की भेंट चढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय साख़ को धक्का,विश्व पटल पर भारत की पहचान एक सहिष्णु और तेज़ी से उभरते लोकतंत्र की रही है। ज़हरीली बयानबाज़ी और सांप्रदायिक वैमनस्य से देश की वैश्विक छवि प्रभावित होती है।

क्या इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए?

बिल्कुल लगनी चाहिए,और यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है। यदि अब भी कठोर क़दम नहीं उठाए गए, तो लोकतंत्र की बुनियाद ही कमज़ोर पड़ जाएगी। इसके लिए बहुस्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है, चुनाव आयोग और न्यायपालिका की सख़्त भूमिका, सिर्फ़ कारण बताओ नोटिस जारी करने से सुधार संभव नहीं है। नफ़रत फैलाऊ भाषण देने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर निश्चित अवधि के लिए कड़ा प्रतिबंध लगना चाहिए। राजनीतिक दलों की नैतिक जवाबदेही,राजनीतिक दलों को स्वयं आगे आकर नफ़रत फैलाने वाले नेताओं पर कठोर संगठनात्मक कार्रवाई करनी होगी,चाहे वे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों। मीडिया की ज़िम्मेदारी,टीआरपी के चक्कर में उत्तेजक बयानों और धार्मिक बहसों को सनसनीखेज़ बनाकर प्रस्तुत करने वाले मंचों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
जनता की जागरूकता (सबसे महत्वपूर्ण),लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास है। जब तक नागरिक फूट डालो और राज करो की इस नीति को पहचानकर विकास, शिक्षा और रोज़गार के मुद्दों पर वोट नहीं देंगे, तब तक राजनीति का यह ढर्रा नहीं बदलेगा।सत्ता और सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन देश हमेशा रहता है। यदि सत्ता के लिए देश की एकता और शांति को दांव पर लगाया जाता रहेगा, तो इसका ख़ामियाज़ा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि देश का नागरिक जाति और धर्म के चश्मे को उतारकर जनप्रतिनिधियों से उनके काम का हिसाब मांगे और नफ़रत फैलाने वाली हर ज़ुबान को अपने वोट की ताक़त से निरुत्तर करे।

आज के दौर में पत्रकार कौन है और प्रचारक कौन?

आज के दौर में यह पहचानना पहले से कहीं अधिक कठिन होता जा रहा है कि पत्रकार कौन है और प्रचारक कौन। समाचार माध्यमों की संख्या बढ़ी है,सूचना के स्रोत बढ़े हैं और

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मंच दिया है। लेकिन इसी विस्तार के बीच पत्रकारिता की मूल भूमिका को लेकर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है–क्या पत्रकारिता अभी भी सत्ता से सवाल करने का माध्यम है, या वह राजनीतिक और वैचारिक खेमेबंदी का हिस्सा बनती जा रही है? यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति, संस्था, चैनल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में पत्रकारिता की विश्वसनीयता का प्रश्न इससे कहीं व्यापक है।
आज मीडिया पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि पत्रकारिता दो स्पष्ट खेमों में बंट गई है। एक खेमा सत्ता की लगभग हर नीति, निर्णय और बयान का बचाव करता दिखाई देता है, जबकि दूसरा सत्ता के लगभग हर कदम में कमी या दोष तलाशता नजर आता है। दोनों के अपने दर्शक, पाठक और समर्थक हैं। दोनों के पास अपने तर्क हैं और दोनों के आसपास अपनी-अपनी वैचारिक भीड़ है। समस्या यह नहीं कि पत्रकार सत्ता की आलोचना करता है या किसी नीति का समर्थन करता है। समस्या तब पैदा होती है जब पत्रकार की भूमिका ही किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध तक सीमित हो जाए।

पत्रकारिता का काम सत्ता के पक्ष में खड़ा होना नहीं है। लेकिन उसका काम केवल सत्ता के विरोध में खड़ा होना भी नहीं है। उसका वास्तविक दायित्व सत्ता के सामने खड़ा होकर सवाल पूछना है। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक दल, नेता या सरकार का निजी अधिकार नहीं होती। सत्ता जनता से प्राप्त जिम्मेदारी है और पत्रकारिता उस जिम्मेदारी की सार्वजनिक निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए पत्रकार का पहला दायित्व किसी पार्टी, नेता या विचारधारा के प्रति नहीं, बल्कि तथ्यों, संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनहित के प्रति होना चाहिए।

यही कारण है कि पत्रकारिता में सवाल पूछना सबसे महत्वपूर्ण काम है। सरकार कोई निर्णय ले तो सवाल होना चाहिए कि वह निर्णय क्यों लिया गया,उसका उद्देश्य क्या है, उसका लाभ किसे मिलेगा,उसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा,उसके लिए कितना सार्वजनिक धन खर्च होगा और उसके परिणामों को कैसे मापा जाएगा। इसी तरह विपक्ष कोई दावा करे तो सवाल होना चाहिए कि उस दावे के तथ्य क्या हैं, उसका आधार क्या है, क्या उसका कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है और उसके वादे कितने व्यावहारिक हैं। सवाल का पैमाना व्यक्ति या दल नहीं, तथ्य और जनहित होना चाहिए।

आज पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक दबाव नहीं है। एक दूसरी चुनौती भी उतनी ही गंभीर है–दर्शकों और पाठकों की पसंद। लोग अक्सर वही सुनना चाहते हैं जो उनकी पहले से बनी धारणा की पुष्टि करता हो। इससे मीडिया संस्थानों पर भी वही सामग्री प्रस्तुत करने का दबाव बढ़ता है जिसे उनका निर्धारित दर्शक वर्ग पसंद करता है। यहीं से पत्रकारिता और प्रचार के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है।

प्रचार का उद्देश्य किसी विचार, व्यक्ति या व्यवस्था के पक्ष में जनमत बनाना होता है। पत्रकारिता का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जनता को जानकारी देना और आवश्यक सवाल उठाना है। दोनों के बीच अंतर हमेशा शब्दों से नहीं,बल्कि काम करने की पद्धति से दिखाई देता है। पत्रकारिता में स्रोतों की जांच, दावों का सत्यापन,संदर्भ की पड़ताल और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, जब निष्कर्ष पहले तय हो और तथ्य केवल उसे सही साबित करने के लिए चुने जाएं,तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एक पत्रकार से गलती हो सकती है। कोई तथ्य गलत रिपोर्ट हो सकता है या किसी खबर में संदर्भ छूट सकता है। लेकिन विश्वसनीय पत्रकारिता की पहचान यह है कि गलती सामने आने पर उसे सुधारा जाए,स्रोतों की दोबारा जांच की जाए और अपनी रिपोर्टिंग पर लगातार आत्ममंथन किया जाए। निष्पक्षता का अर्थ यह भी नहीं कि हर मुद्दे पर दोनों पक्षों को बराबर सही बताया जाए। यदि किसी दावे के समर्थन में मजबूत तथ्य हैं और दूसरे दावे के समर्थन में नहीं,तो पत्रकार का दायित्व तथ्यों को उसी अनुपात में सामने रखना है। संतुलन का अर्थ झूठ और सच को बराबर वजन देना नहीं हो सकता।

इसी तरह सत्ता से सवाल करना सत्ता-विरोधी होना नहीं है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना विरोध नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की प्रक्रिया है। जो सरकार जनता के नाम पर निर्णय लेती है, उससे जनता के सवाल पूछे जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज कई बार पत्रकार की पहचान उसके सवालों से कम और उसके राजनीतिक झुकाव की धारणा से अधिक की जाती है। पत्रकार ने सरकार से सवाल पूछा तो उसे विरोधी खेमे का बताया जाता है। उसने सरकार के किसी निर्णय के पक्ष में तथ्य रखे तो उसे समर्थक कह दिया जाता है। इस तरह पत्रकार के प्रश्न पर चर्चा कम और उसकी कथित निष्ठा पर चर्चा अधिक होने लगती है।
यह स्थिति पत्रकारिता के लिए ही नहीं, लोकतंत्र के लिए भी चुनौती है। एक स्वस्थ मीडिया व्यवस्था में सरकार की आलोचना भी होनी चाहिए और उसके अच्छे कामों की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग भी। विपक्ष की कमियों पर भी सवाल होने चाहिए और उसके वैध सवालों को भी जगह मिलनी चाहिए। पत्रकार का काम किसी पक्ष को खुश करना नहीं, बल्कि नागरिक को अधिक जानकारी देकर उसे स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने योग्य बनाना है। पत्रकारिता का मूल्य इस बात से नहीं तय होना चाहिए कि उसकी खबर से कौन खुश हुआ और कौन नाराज, बल्कि इससे कि उसने जनता के सामने कितनी विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी रखी।
निष्पक्ष पत्रकारिता का रास्ता इसलिए आसान नहीं है। सत्ता उससे नाराज हो सकती है। विपक्ष भी नाराज हो सकता है। विज्ञापनदाता असहज हो सकते हैं। सोशल मीडिया की भीड़ आलोचना कर सकती है और अपने ही पाठक या दर्शक असहमति जता सकते हैं। फिर भी पत्रकारिता की असली परीक्षा वहीं होती है जहां पत्रकार को अपने सुविधाजनक पक्ष के विरुद्ध भी तथ्य प्रकाशित करने पड़ें। यदि कोई पत्रकार केवल वही सवाल पूछता है जिनके जवाब से उसका अपना समर्थक वर्ग प्रसन्न होता है, तो उसके सामने आत्ममंथन का प्रश्न अवश्य खड़ा होता है।

पत्रकारिता का अर्थ न सत्ता की गुलामी है, न विपक्ष की वफादारी। न प्रचार, न प्रतिशोध। न किसी विचारधारा की अंधभक्ति, न हर बात में विरोध के लिए विरोध। पत्रकारिता का मूल आधार तथ्य, सवाल, संदर्भ और जनहित है। लोकतंत्र को ऐसे पत्रकारों की आवश्यकता है जो सत्ता से सवाल पूछ सकें, विपक्ष से भी सवाल पूछ सकें, अपने स्रोतों की जांच कर सकें और अपनी धारणाओं पर भी संदेह करने का साहस रखें।

क्योंकि पत्रकार का काम सत्ता बदलना नहीं है। चुनाव जनता का अधिकार है और सत्ता बदलने या बनाए रखने का निर्णय मतदाता करता है। पत्रकार का काम इससे अलग है। उसका काम है सत्ता से पूछना कि उसने क्या किया,क्यों किया,किसके लिए किया और उसके परिणामों की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी तरह उसका दायित्व विपक्ष से पूछना भी है कि उसके आरोपों और वादों का आधार क्या है।

लोकतंत्र में पत्रकार सत्ता का मित्र या शत्रु नहीं होना चाहिए। उसे जनता के सवालों का माध्यम होना चाहिए। जब पत्रकार सवाल पूछता है,दस्तावेजों की जांच करता है, दावों को परखता है और सत्ता तथा विपक्ष दोनों से जवाब मांगता है,तभी पत्रकारिता अपनी लोकतांत्रिक भूमिका निभाती है। और जब पत्रकार सवाल पूछना छोड़ देता है,तब सूचना के साधन तो बहुत रह जाते हैं,लेकिन पत्रकारिता धीरे-धीरे कम होती जाती है। आखिर पत्रकारिता की असली पहचान किसी खेमे के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि हर खेमे से सवाल पूछने के साहस में है।

हिंदी कवितायें

माँ को कुर्सी दे दो...

संजय एम तराणेकर
इन्दौर,मध्यप्रदेश

माँ को कुर्सी दे दो,इतना तो सम्मान रहे,
उम्र की ढलती शाम,चेहरे पर मुस्कान रहे।
राजनीति अपने स्थान,मतभेदों में बात रहे,
माँ के सम्मान से ऊपर कैसी सौगात रहे?
मंच पे सवाल उठें,सरकारों से जवाब माँगे,
किसी बुज़ुर्ग माँ पर हँसी के तीर नहीं भागें।
कहें वह मिमिक्री,हँसी-मजाक का मंच था,
सवाल ये रहता असम्मान का वह क्षण था?
कुर्सी कोई सत्ता नहीं,न कोई सिंहासन माँगे,
हाँ,थकी हुई उम्र के आगे थोड़ा आसन माँगे।
नेता आएँ, नेता जाएँ, राजनीति के रंग बदलें,
माँ के आँचल की गरिमा पे शब्द कैसे मचलें?
क्योंकि संसद की ऊँची बातें बाद में कह दो,
माँ की झुकी उम्र पर ध्यान देकर मान दे दो।
भाई, माँ को कुर्सी दे दो,माँ को सम्मान दे दो,
राजनीति जितनी हो मानवता को स्थान दे दो।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

- खसरा क्रमांक 3714 की भूमि पर जल क्षेत्र पाटकर प्लॉटिंग की शिकायत
- 1954-55 के अभिलेख में जैलाल पिता बोधन, जाति गोंड के नाम दर्ज थी भूमि
- मूत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम के रिकॉर्ड में नहीं मिला
- दूसरे जैलाल के वारिसों की जानकारी से फौती नामांतरण किए जाने का उल्लेख
- आजाद इराकी, चन्द्रशेखर यादव सहित कई नाम जांच रिपोर्ट में
- वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने 2 सितंबर को की थी शिकायत

प्रतीक्षा बस स्टैंड की जमीन के कथित फर्जी अंतरण पर एफआईआर के निर्देश

कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में खुला राजस्व रिकॉर्ड का खेल! 1954-55 के अभिलेख में गोंड के नाम दर्ज भूमि,दूसरे जैलाल के वारिसों की जानकारी से फौती नामांतरण का उल्लेख

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रतीक्षा बस स्टैंड अंबिकापुर क्षेत्र की बेशकीमती जमीन से जुड़े मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है, खसरा क्रमांक 3714 की भूमि के कथित फर्जी एवं दोषपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर अंतरण के मामले में कलेक्टर सरगुजा ने तहसीलदार अंबिकापुर को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर भूमि को विधिवत शासन में निहित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश दिनांक 23 सितंबर 2026 में यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जांच रिपोर्ट में जिस भूमि के अंतरण पर सवाल उठाए गए हैं, उसके पुराने राजस्व अभिलेखों को लेकर ही बड़ी विसंगतियां सामने आने का उल्लेख है, जांच में कहा गया है कि संबंधित भूमि वर्ष 1954-55 के पूर्व से जैलाल पिता बोधन, जाति गोंड के नाम दर्ज थी, वहीं बाद की राजस्व प्रक्रिया में एक अलग व्यक्ति के नाम और उसके वारिसों की जानकारी का उपयोग कर फौती नामांतरण किए जाने का उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है।

तालाब की जमीन पाटकर प्लाटिंग की शिकायत से शुरू हुआ मामला

प्रकरण की शुरुआत प्रतीक्षा बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में की गई शिकायत से हुई, शिकायत में कहा गया था कि खसरा क्रमांक 3714 की भूमि में मौजूद जल क्षेत्र को पाटकर प्लाटिंग की जा रही है,शिकायत में यह भी उल्लेख था कि यह क्षेत्र तालाब के रूप में उपयोग होता रहा है और आसपास के लोग निस्तारी,नहाने,पशुओं को पानी पिलाने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग करते रहे हैं,कलेक्टर कार्यालय के आदेश में यह भी दर्ज है कि नगर निगम अम्बिकापुर के मास्टर प्लान 2021 में संबंधित भूमि को नगर निगम के तालाबों की सूची में शामिल किए जाने तथा तालाब के रूप में उपयोग किए जाने संबंधी तथ्य शिकायत में प्रस्तुत किए गए थे,इसी शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर से जांच कराई गई,यानी मामला सिर्फ किसी निजी भूमि के सामान्य विवाद तक सीमित नहीं था,शिकायत में जल क्षेत्र, उसके उपयोग और भूमि के अंतरण के साथ प्लाटिंग का मुद्दा भी उठाया गया था।

जैलाल की मौत का प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड में नहीं मिला-मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य जांच के दौरान सामने आने का उल्लेख है,भूमि के मूल खातेदार जैलाल पिता बोधन की मृत्यु 23 अप्रैल 1976 को होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे,लेकिन नगर पालिक निगम अंबिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मृत्यु से संबंधित प्रस्तुत प्रमाण पत्र निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था और न ही निगम द्वारा जारी किया गया था। यह जानकारी निगम द्वारा 4 मई 2026 को दी गई थी, यानी जिस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर आगे की राजस्व कार्रवाई का रास्ता बना,उसी दस्तावेज की नगर निगम रिकॉर्ड में पुष्टि नहीं होने की बात जांच रिपोर्ट में दर्ज है,अब यही दस्तावेज और उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया आगे होने वाली पुलिस जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है।

किसकी भूमिका पर जांच में उठे सवाल?- कलेक्टर के आदेश में एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर चन्द्रशेखर यादव पिता स्व. जगतपाल यादव और आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी की भूमि अंतरण में भूमिका का उल्लेख किया गया है, इसके अलावा जांच रिपोर्ट में अन्य विक्रेताओं नोहरसाय,रामकुमार,श्रीलाल, पूर्णिमा,जनकुंवर,चन्द्रभान यादव एवं मीरा यादव की संलिप्तता भी प्रतीत होने की बात कही गई है, इतना ही नहीं,ग्राम पंचायत अमलभिट्ठी के तत्कालीन संबंधित सरपंच एवं सचिव की भूमिका भी जांच में संदेहास्पद बताई गई है, रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर भी दस्तावेज तैयार करने अथवा प्रक्रिया में भूमिका की जांच की जरूरत सामने आई है,यह सभी नाम जांच रिपोर्ट में उल्लेखित हैं,इनके विरुद्ध आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया में ही होगी।

दस्तावेजों में सामने आई विसंगतियां अब जांच का केंद्र- इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अब यही है कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया किस आधार पर हुई? एक ओर जांच रिपोर्ट में पुराने रिकॉर्ड में जैलाल पिता बोधन गोंड का नाम होने का उल्लेख है, दूसरी ओर जैलाल पिता देवराम के वारिसों की जानकारी तैयार किए जाने और उसका इस्तेमाल जैलाल पिता बोधन के वारिसों के लिए किए जाने की बात कही गई है,इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र का सवाल सामने आता है,जिसकी नगर निगम रिकॉर्ड में पुष्टि नहीं होने की बात जांच में दर्ज है, फिर इसी आधार पर तैयार वारिसान और राजस्व रिकॉर्ड में हुई फौती नामांतरण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आती है, यही कारण है कि अब पुलिस जांच में केवल भूमि की वर्तमान स्थिति ही नहीं,बल्कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड से लेकर वंशावली,मृत्यु प्रमाण पत्र,फौती नामांतरण, बिक्री दस्तावेज और रजिस्ट्री की पूरी श्रृंखला की जांच महत्वपूर्ण होगी।

भूमि शासन में निहित करने की भी तैयारी- कलेक्टर ने तहसीलदार अंबिकापुर को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ पालन प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जांच प्रतिवेदन और राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि को विधिवत शासन में निहित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टर के आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक सरगुजा, एसडीएम अंबिकापुर तथा जिला जनसंपर्क कार्यालय को भी भेजी गई है।

1954-55 के रिकॉर्ड से शुरू होती है पूरी कहानी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की जांच रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि के पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा है,रिपोर्ट के अनुसार संबंधित भूमि जैलाल पिता बोधन,जाति गोंड के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी,आदेश में इसे अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के रूप में भी संदर्भित किया गया है, यहीं से सवाल उठता है कि यदि मूल अधिकार अभिलेख में भूमि जैलाल पिता बोधन गोंड के नाम दर्ज थी,तो बाद की राजस्व प्रक्रिया में इस भूमि के वारिसों की पहचान कैसे बदली और किस आधार पर नामांतरण की कार्रवाई हुई? जांच रिपोर्ट में इसी प्रक्रिया को लेकर दस्तावेजों की वैधता पर गंभीर सवाल दर्ज किए गए हैं।

एक जैलाल की जगह दूसरे जैलाल के वारिसों की जानकारी!

जांच रिपोर्ट के अनुसार अमलभिट्ठी के पटवारी द्वारा जैलाल पिता देवराम के वारिसों की जानकारी तैयार की गई थी,लेकिन इस जानकारी का उपयोग जैलाल पिता बोधन के वारिसों के संबंध में करते हुए राजस्व अभिलेखों में फौती नामांतरण की कार्रवाई किए जाने का उल्लेख जांच रिपोर्ट में है, यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है, जांच रिपोर्ट में दो अलग-अलग पिताओं के नाम दर्ज होने के बावजूद वारिसों की जानकारी के इस्तेमाल की बात सामने आती है, यदि जांच में दर्ज यह तथ्य आगे की आपराधिक जांच में भी प्रमाणित होता है,तो यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित दस्तावेज किसने तैयार किए, किस स्तर पर उनका परीक्षण हुआ और राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की कार्रवाई किस आधार पर की गई।

एसटी भूमि के अंतरण में फर्जी दस्तावेज का उल्लेख

कलेक्टर के आदेश में एसडीओ राजस्व की जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के अंतरण में फर्जी एवं दोषपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर छल-कपट एवं धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है, इसी आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, यानी प्रशासन ने इस मामले को केवल राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि मानकर बंद नहीं किया है, जांच निष्कर्षों के आधार पर इसे आपराधिक कार्रवाई योग्य मामला मानते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

आलोक दुबे की शिकायत के बाद जांच ने पकड़ा मामला

इस मामले को दस्तावेजों के साथ उठाने वाले वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने बताया कि उन्होंने 2 सितंबर 2026 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी,उनके अनुसार शिकायत के साथ भूमि के पुराने दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े तथ्य भी प्रस्तुत किए गए थे,आलोक दुबे का सवाल है कि जब पुराने सेटलमेंट और अधिकार अभिलेख में भूमि जैलाल गोंड के नाम दर्ज थी, तो बाद की प्रक्रिया में यह नाम और वारिसों का स्वरूप कैसे बदल गया, उन्होंने आरोप लगाया है कि कथित तौर पर भूमि दलाल,तत्कालीन राजस्व अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी वंशावली तैयार कर भूमि का अंतरण कराया गया, हालांकि,यह आरोप शिकायतकर्ता का है इसकी अंतिम पुष्टि पुलिस जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में ही होगी।

अब एफआईआर के बाद खुलेगा जमीन के दस्तावेजों का पूरा राज...

प्रशासनिक जांच के बाद अब इस मामले की अगली कड़ी पुलिस कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दस्तावेजों की पूरी कड़ी को खंगालने की होगी, मूल अधिकार अभिलेख में नाम किसका था? वारिस कौन थे? मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से आया? उसकी वैधता कैसे जांची गई? एक अन्य जैलाल के वारिसों की जानकारी का इस्तेमाल कैसे हुआ? फौती नामांतरण किस अधिकारी के आदेश से हुआ? बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया किन दस्तावेजों के आधार पर हुई? और भूमि के अंतरण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका क्या रही? इन सवालों के जवाब ही इस पूरे प्रकरण की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं, फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 23 सितंबर 2026 के कलेक्टर आदेश ने मामले को शिकायत और राजस्व जांच के स्तर से आगे बढ़ाकर आपराधिक कार्रवाई के चरण में पहुंचा दिया है, जांच रिपोर्ट में दस्तावेजों और नामांतरण प्रक्रिया को लेकर जो गंभीर तथ्य दर्ज किए गए हैं, उनके आधार पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं, अब पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया यह तय करेगी कि जांच में सामने आए आरोपों में से कौन-से तथ्य साक्ष्यों से प्रमाणित होते हैं।

लुण्ड्रा पुलिस ने मोटर पंप चोरी गिरोह का किया खुलासा 2.50 लाख का मशरूका जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

लुण्ड्रा थाना पुलिस ने खेतों से मोटर पंप और समरसिबल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 2 लाख 50 हजार रुपये का मशरूका बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल,पांच मोटर पंप और दो सेट समरसिबल पंप जब्त किए हैं। मामले में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार,तुरियाबीरा निवासी संजय कुमार गुप्ता ने 13 मई 2026 को लुण्ड्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके खेत में लगे समरसिबल मोटर पंप के तार काटकर अज्ञात चोर पंप चोरी कर ले गए हैं। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 111/26 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लगातार सामने आ रही मोटर पंप और समरसिबल चोरी की घटनाओं को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने संबंधित थाना-चौकी प्रभारियों को संदिग्धों पर नजर रखने और चोरी के मामलों का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान लुण्ड्रा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बोरी में चोरी का सामान लेकर उसे खपाने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जबकि चालक को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सत्यनारायण (25),पिता गंगा राम,निवासी गढ़बीरा, थाना लुण्ड्रा बताया। पुलिस के अनुसार,आरोपी के कब्जे से मिले मोटर पंप और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर उसने मोटरसाइकिल को अपने साथियों के साथ अंबिकापुर जिला अस्पताल परिसर से चोरी करना स्वीकार किया। आगे पूछताछ में उसने बतौली, लुण्ड्रा, धौरपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में खेतों से मोटर पंप और समरसिबल चोरी करने की जानकारी दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पांच मोटर पंप, दो सेट समरसिबल पंप और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 2 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है।

मधुमक्खियों के झुंड ने चार लोगों पर किया हमला

दादी-नातिन समेत एक ही परिवार के चार लोग घायल,वृद्धा आईसीयू में भर्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

उदयपुर क्षेत्र के ग्राम देवटीकरा में खेत में काम कर रहे और मवेशी चरा रहे एक ही परिवार के चार लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में वृद्धा,चार वर्षीय बच्ची समेत चार लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। वृद्धा की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम देवटीकरा निवासी अजय यादव (40) मंगलवार शाम करीब 4 बजे अपने बड़े भाई प्रताप यादव (42) के साथ खेत में मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान अजय की मां मोहरमनिया (65) और उसकी चार वर्षीय बेटी आरती उड़द के खेत में काम कर रहे थे। खेत में मधुमक्खियों का छत्ता था। अचानक मधुमक्खियां आक्रामक हो गईं और चारों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान अजय ने अपनी बेटी आरती को गोद में लेकर उसे बचाने का प्रयास किया। इसके बावजूद मधुमक्खियों ने अजय के पूरे शरीर पर हमला कर दिया। उसकी

मां मोहरमनिया को भी मधुमक्खियों ने बुरी तरह डंक मारकर घायल कर दिया। प्रताप भी हमले की चपेट में आ गया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए सभी लोग घर की ओर भागने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों ने अजय, उसकी बेटी और मां को कंबल ओढ़ाकर मधुमक्खियों से बचाया। प्रताप किसी तरह भागकर घर पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से चारों को

खमरिया अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को लखनपुर अस्पताल रेफर किया गया। यहां उपचार के बाद चारों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेज दिया गया। वृद्धा की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है,जबकि अजय और प्रताप का मेडिकल वार्ड में उपचार चल रहा है। बच्ची का भी उपचार किया गया है।

बाइक सवार युवकों ने कार में मारी टक्कर,विरोध करने पर लाठी,डंडे व रॉड से कार सवारों को पीटा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम कोलडीहा के पास दो बाइक में सवार तीन युवक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। कार में सवार युवक ने उतरकर देखा तो विवाद करने लगे और गांव के लोगों को बुलाकर बाइक सवार युवकों ने कार सवार दो युवकों से लाठी-डंडे व रॉड से मारपीट की। हमले में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजीव लोचन सिंह गांधीनगर बिजली ऑफिस के पास का रहने वाला है। वह 19 सितंबर की शाम करीब 6 बजे वह अपने मित्र सौरभ गोस्वामी के साथ कार क्रमांक सीजी 29 एई 5500 से पीलखा पहाड़ घूमने गया था। रात करीब 8 बजे लौट रहे थे। ग्राम कोलडीहा के पास दो बाइक पर सवार तीन युवक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। राजीव कार से उतरकर वाहन देखने लगा। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने गांव के ही 5-6 अन्य लोगों को बुलाकर ले आए और लाठी, डंडे व रॉड से राजीव से गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। दोस्त सौरभ बीच-बचाव करने कार से उतरा तो उसके सिर पर पीछे से रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने उसे घेरकर सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर लाठी-डंडे और रॉड से मारपीट की। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए। सौरभ की हालत गंभीर होने पर उसे महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजीव ने यह भी बताया कि मारपीट के दौरान सौरभ की जींस की जेब से 4500 रुपए गिर गए, जिसकी जानकारी अस्पताल पहुंचने के बाद हुई।

गणपति उत्सव के दौरान धार्मिक झांकी में बाल कलाकारों ने बांधा समां

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

अटल विहार सरावां कॉलोनी में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए तीन दिवसीय विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन 22 सितंबर को बाल कलाकारों ने धार्मिक झांकी, भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। गोलू विश्वकर्मा, युवी गुप्ता, रावी, परी प्रसाद, गुड्डू, अथर्व पाठक, प्रकल्प, कियारा, काव्या, चरिका, गुनगुन, श्रुति गोजो और परी विश्वकर्मा सहित अन्य बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों ने गणेश, शंकर, पार्वती, रिद्धि-सिद्धि और भगवान कृष्ण सहित विभिन्न देवी-देवताओं के स्वरूप धारण कर धार्मिक झांकी प्रस्तुत की। भक्ति गीतों पर नृत्य और प्रहसन ने भी कार्यक्रम में उत्साह भर दिया।

तीन वर्गों में होंगी प्रतियोगिताएं : आयोजन समिति के अनुसार ड्राइंग, चित्रकला और श्लोक प्रतियोगिता को तीन वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में कक्षा पहली से पांचवीं, द्वितीय वर्ग में छठवीं से आठवीं तथा तृतीय वर्ग में नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। 22 सितंबर को धार्मिक झांकी 'देव दर्शन' व 23 सितंबर को ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं 24 सितंबर को श्लोक पाठ प्रतियोगिता होगी। सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम 24 सितंबर को घोषित किए जाएंगे।

कृषि विभाग में प्रभारवाद का राज,पदोन्नतियां ठप्प,सैकड़ों पद खाली

अपर संचालक के 8,संयुक्त संचालक के 4 और उप संचालक के 6 पद रिक्त

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के करीब 280 पद खाली होने का दावा

-संवाददाता-
सूरजपुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालने वाला कृषि विभाग इन दिनों प्रशासनिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है,विभाग में अधिकारियों के महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त बताए जा रहे हैं,जबकि कई कार्यालय अतिरिक्त प्रभार के भरोसे संचालित हो रहे हैं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध हैं और विभाग में पद भी रिक्त हैं, तो पदोन्नति आदेश जारी करने में देरी क्यों हो रही है।

विभागीय व्यवस्था के अनुसार अपर संचालक के 8,संयुक्त संचालक के 4 और उप संचालक के 6 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, वहीं मैदानी स्तर पर कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन,निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के करीब 280 पद खाली होने की बात सामने आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने का असर जिला और विकासखंड स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है।

जिला कृषि अधिकारियों के पद भी प्रभार के भरोसे

रिक्तियों का असर केवल मुख्यालय स्तर तक सीमित नहीं है,बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक जिलों में जिला कृषि अधिकारी के पद प्रभार के भरोसे संचालित हो रहे हैं, इसके अलावा प्रदेश के अनेक जिला और विकासखंड कार्यालयों में भी अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर विभागीय कामकाज संचालित किया जा रहा है,एक अधिकारी के पास अपने मूल दायित्व के साथ अतिरिक्त प्रभार होने से कार्यभार बढ़ना स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में विभागीय योजनाओं की निगरानी, मैदानी निरीक्षण,किसानों की शिकायतों का निराकरण और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जैसे कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

पात्र अधिकारी मौजूद, फिर भी पदोन्नति पर सवाल-

कृषि विभाग में पदोन्नति को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब विभाग में उच्च पदों पर रिक्तियां हैं और पदोन्नति के पात्र अधिकारी उपलब्ध बताए जा रहे हैं, तो नियमित पदस्थापना के बजाय प्रभार व्यवस्था क्यों जारी है, पदोन्नति केवल संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत लाभ का विषय नहीं है, इससे विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर नियमित अधिकारी उपलब्ध होते हैं और जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी स्पष्ट होती है, लंबे समय तक पद रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था स्थायी विकल्प बन जाए तो प्रशासनिक ढांचे पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी मानव संसाधन की कमी-

कृषि विभाग की चुनौती केवल अधिकारियों के रिक्त पदों तक सीमित नहीं बताई जा रही है, प्रदेश में उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच के लिए स्थापित 8 आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी विश्लेषकों की कमी होने की बात सामने आ रही है, सरकारी बजट से इन प्रयोगशालाओं के भवन, मशीनरी और अन्य संसाधनों पर बड़ी राशि खर्च की गई है, लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षित अधिकारी और विश्लेषक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अत्याधुनिक मशीनों का अपेक्षित उपयोग सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इससे प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की गति पर भी असर पड़ने की आशंका है।

खाद-बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच महत्वपूर्ण-

कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच सीधे किसानों के हित से जुड़ी है। बाजार में उपलब्ध खाद,बीज और कीटनाशकों के नमूने लेकर उनकी जांच कराना तथा अमानक पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करना कृषि विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है,यदि प्रयोगशालाओं में पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है और मैदानी स्तर पर भी अधिकारियों के पद खाली हैं, तो नमूना संग्रह से लेकर परीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन किसानों पर पड़ सकता है जो अपनी मेहनत और पूंजी लगाकर खेती करते हैं।

योजनाओं की निगरानी पर भी पड़ सकता है असर

कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है, इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर अधिकारियों की नियमित मौजूदगी जरूरी होती है, अधिकारियों के पद रिक्त रहने या एक अधिकारी को एक से अधिक कार्यालयों का प्रभार दिए जाने से मैदानी निगरानी की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है, किसानों की शिकायतों का निराकरण, कृषि आदानों की उपलब्धता और गुणवत्ता की निगरानी, योजनाओं की प्रगति तथा मैदानी स्तर पर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा जैसे कार्य नियमित अधिकारियों की उपलब्धता से सीधे जुड़े हैं।

रिक्त पद भरने और नियमित पदस्थापना की मांग...

कृषि विभाग में लगातार रिक्त पदों और प्रभार व्यवस्था को लेकर अब विभागीय स्तर पर नियमित पदस्थापना की जरूरत महसूस की जा रही है,पदोन्नति के पात्र अधिकारियों को समय पर पदोन्नति देने,रिक्त पदों को भरने, जिला एवं विकासखंड कार्यालयों में नियमित अधिकारियों की पदस्थापना करने तथा कृषि प्रयोगशालाओं में पर्याप्त विश्लेषकों की नियुक्ति की मांग उठ रही है,कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था और बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों की आजीविका से जुड़ा है,ऐसे में कृषि विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होना महत्वपूर्ण है,अब सवाल यह है कि रिक्त पदों और लंबे समय से चली आ रही प्रभार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शासन स्तर पर कब ठोस कदम उठाए जाते हैं,नियमित पदस्थापना और पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से ही कृषि योजनाओं की निगरानी, कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच और किसानों तक विभागीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।

मोबाइल मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद लात-घूंसों और डंडे से पीटने का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रनपुर तरईयापारा में 21 सितंबर की रात को गणेश पंडाल में सांस्कृति कार्यक्रम देखे गए तीन युवक से मारपीट की घटना सामने आई थी। पीड़ित युवक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार अनिल दास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे वह अपने ममेरे भाई राज महंत और दोस्त दिलभरण के साथ ग्राम रनपुर तरईयापारा में गणेश विसर्जन कार्यक्रम देखने गया था। इसी दौरान रनपुर निवासी विकास सिंह ने राज महंत से बात करने के लिए मोबाइल मांगा। विकास मोबाइल पर बात करते हुए कुछ दूर चला गया और वहां से गाली-गलौज करने लगा। कुछ देर बाद पुनः विकास ने साथी खोरू राजवाड़े, जगनारायण राजवाड़े और अन्य लोगों के साथ पहुंचा और तीनों युवकों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगा। मारपीट में पीड़ित के सिर, पीठ, कमर और पैर में चोट आई। सिर में चोट लगने से खून निकलने पर उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उसने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी विकास सिंह,खोरू राजवाड़े,जगनारायण व अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

लड़की छेड़ने का आरोप लगाकर छात्र की पिटाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

लड़की छेड़ने का आरोप लगाकर छात्र के साथ मारपीट करने का मामल सामने आया है। छात्र ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाना में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार शिवम बेक ग्राम करसी बुढाडाड थाना प्रतापपुर का रहने वाला है। वह अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर पीजी कालेज में बीएससी प्रथम वर्ष की पढाई कर रहा है। 21 सितंबर शिवम दोपहर करीब 1.30 क्लास से बाहर ग्राउण्ड में गया था। उसी समय उज्जवल कौशर्य जो विश्रामपुर का रहने वाला है वह बस से कॉलेज आना-जाना करता है वह तथा उसके अन्य साथी शिवम पर लड़की छेड़ने का आरोप लगाकर हाथ-मुक्के व डंडे से मारपीट की है। आरोपियों ने धमकी दिया कि अगर दोबार कॉलेज में दिख जाते हो तो जान से मारकर फेंक देंगे। पीड़ित छात्र की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी उज्जवल कौशर्य व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक की बाइक चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक की बाइक रेलवे स्टेशन अंबिकापुर स्थित बैरक के सामने से अज्ञात चोर ने पार कर दी। आरक्षक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाना में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार अश्वनी कुमार हरियाणा का रहने वाला है और वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल रेलवे स्टेशन अंबिकापुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। वह 17 सितंबर की रात को 8 बजे अपनी बाइक को बैरक के सामने खड़ा कर ड्यूटी कर रहा था। रात करीब 2 बजे वापस आकर देखा तो उसकी बाइक नहीं थी।

20 लाख का चेक डैम छह महीने में ढहा,पहली बारिश में खुली निर्माण की पोल

सिलफिली में किसानों के लिए बना जल संरक्षण ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरा, गुणवत्ता और निगरानी पर उठे सवाल

सुदामा राजवाड़े

शंकरगढ़ 23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

किसानों को सिंचाई सुविधा देने और जल संरक्षण के उद्देश्य से सरकारी राशि से बनाया गया चेक डैम छह महीने भी नहीं टिक सका। जनपद पंचायत शंकरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिलफिली में करीब 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित चेक डैम पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। निर्माण की स्थिति देखकर ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता और विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस निर्माण से उन्हें खेतों के लिए पानी मिलने और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद थी, वही निर्माण बारिश आते ही ढह गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता की जांच आखिर किस स्तर पर की गई थी।

छह महीने में ही जवाब देने लगा निर्माण : ग्रामीणों के मुताबिक चेक डैम का निर्माण करीब छह महीने पहले कराया गया था। इतनी कम अवधि में ढांचे का इस तरह क्षतिग्रस्त होकर ढह जाना निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, तकनीकी गुणवत्ता और कार्य की निगरानी को लेकर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि निर्माण के दौरान निर्धारित मापदंडों का पालन और गुणवत्ता की प्रभावी जांच हुई होती तो इतनी जल्दी चेक डैम की यह स्थिति नहीं बनती।

आरईएस की निगरानी में हुआ था काम, अब जिम्मेदारी पर सवाल : बताया गया कि चेक डैम का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अनुविभागीय अधिकारी और विभागीय तकनीकी अमले की निगरानी में कराया गया था। ऐसे में निर्माण के कुछ ही महीनों बाद ढांचे के ढह जाने से विभागीय मूल्यांकन और निरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की निगरानी के बिना इस स्तर का घटिया निर्माण संभव नहीं है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सरकारी पैसा पानी में...किसान फिर खाली हाथ

चेक डैम का उद्देश्य किसानों को पानी उपलब्ध कराना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद इसके ढह जाने से ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी राशि से बनाए गए जल संरक्षण ढांचे ही टिकाऊ नहीं होंगे तो किसानों को सिंचाई सुविधा देने की योजनाओं का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। इस मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि निर्माण पूरा होने के बाद कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया और क्या संबंधित अधिकारियों ने मौके पर जाकर निर्माण की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया था।

जांच हुई तो सामने आ सकती है पूरी तस्वीर

ग्रामीणों ने मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण की लागत,स्वीकृत प्राक्कलन,इस्तेमाल की गई सामग्री, तकनीकी मापदंड,भुगतान प्रक्रिया और निर्माण के बाद किए गए मूल्यांकन की जांच होनी चाहिए। साथ ही यदि जांच में अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों से राशि की वसूली और नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

एसडीओ से संपर्क का प्रयास, मोबाइल रहा आउट ऑफ कवरेज : मामले में विभाग का पक्ष जानने के लिए शंकरगढ़ आरईएस के अनुविभागीय अधिकारी वासिल मिंज से संपर्क करने का प्रयास किया गया। कार्यालय पहुंचने पर वे अपने कक्ष में मौजूद नहीं मिले। मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका नंबर 'आउट ऑफ कवरेज' बताया गया। विभागीय पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि छह महीने में ढह गए इस चेक डैम की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की जांच होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी राशि से बने इस ढांचे की ऐसी स्थिति कैसे बनी।

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच,महिलाओं की बोन डेंसिटी भी जांची

सेवा संकल्प अभियान के तहत एएनसी, परिवार नियोजन व कुपोषित बच्चों के लिए विशेष ओपीडी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की एएनसी (प्रसव पूर्व जांच) कर स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की पहचान की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आवश्यक जांच, दवाइयों और सावधानियों के संबंध में परामर्श दिया। गर्भवती महिलाओं को नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने, संतुलित आहार लेने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही सामान्य महिलाओं के लिए बोन मास डेंसिटी जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। महिलाओं को हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम व विटामिन-डी की आवश्यकता तथा ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के उपायों की

जानकारी दी गई। अस्पताल में परिवार नियोजन परामर्श ओपीडी भी संचालित की गई। इसमें दंपतियों को स्थायी एवं अस्थायी परिवार नियोजन साधनों की जानकारी देकर उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित विकल्प के संबंध में परामर्श दिया गया। कुपोषित बच्चों के लिए विशेष ओपीडी में स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और पोषण स्तर का आकलन किया गया। अभिभावकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और कुपोषण से बचाव के उपाय बताए गए। जरूरत के अनुसार बच्चों को उपचार और आगे की देखभाल के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेश्राम तथा संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या के निर्देशन में सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. संटू बाघ की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

उप अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीआर सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाशी कुजूर सहित वरिष्ठ चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

42 भरे सिलेंडरों की सील टूटी मिली,11 में 5 से 10 किलो गैस कम

उदयपुर की सूरज भारत गैस एजेंसी का गोदाम सील,स्टॉक में भी मिला अंतर...उपभोक्ताओं ने दुर्व्यवहार और अवैध वसूली की शिकायतें कीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर सरगुजा को मिली शिकायतों के बाद बुधवार को गठित जांच टीम ने उदयपुर स्थित सूरज भारत गैस एजेंसी के गोदाम की जांच की। जांच में बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आने के बाद टीम ने गोदाम को सील कर दिया। टीम को 214 खाली सिलेंडरों के बीच 42 भरे हुए सिलेंडर मिले। इन सिलेंडरों की सील टूटी हुई थी। वजन कराने पर इनमें से करीब 11 सिलेंडरों में 5 से 10 किलो तक गैस कम मिली। एजेंसी के स्टॉक में भी अंतर पाया गया। जांच के दौरान भारत गैस के गोदाम में इंडेन कंपनी के 32 खाली सिलेंडर भी मिले। दूसरी कंपनी के सिलेंडर गोदाम में रखे जाने को भी जांच में शामिल किया

गया है। टीम ने सिलेंडरों के ढक्कन, रेपर और अन्य सामग्री को साक्ष्य के तौर पर जब्त किया है। जांच के दौरान मौजूद उपभोक्ताओं और शिकायतकर्ताओं ने एजेंसी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं। आरोप लगाया गया कि गैस सिलेंडर के नंबर का मिलान नहीं होने पर दूसरी बार रिफिल देने से मना किया जाता था। गैस उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त राशि मांगने की शिकायत भी की गई। कुछ शिकायतकर्ताओं ने सिलेंडरों को कथित तौर पर ब्लैक में 2 से 3 हजार रुपए तक में बेचने का आरोप लगाया। इसके अलावा केवाईसी के नाम पर डिलीवरी ओटीपी लेने के बाद गैस नहीं देने, घर पहुंच सेवा उपलब्ध नहीं कराने और रिफिल के समय अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायतें भी सामने आईं।

उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालक व कर्मचारियों पर कथित रूप से गाली-गलौज, दुर्व्यवहार, मारपीट और धमकी देने के आरोप भी लगाए। कुछ मामलों में थाने में शिकायत किए जाने की बात भी सामने आई। जांच के दौरान झिरमिटी ग्राम पंचायत के सरपंच-पंच, गैस उपभोक्ताओं और शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद गैस गोदाम को सील कर दिया गया। बाद में ग्राम पंचायत भवन उदयपुर में उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए गए।

एजेंसी संचालक द्वारा अन्य स्थानों पर भी गैस सिलेंडर रखे जाने की सूचना मिलने पर उन स्थानों की जांच के लिए टीम रवाना की गई है। जांच टीम में सहायक खाद्य अधिकारी अंबिकापुर चित्रकांत ध्रुव, खाद्य निरीक्षक सतपाल सिंह, राजन कश्यप, नवीन सिंह, अनिमा भगत सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। फिलहाल जांच जारी है। जब्त सामग्री, स्टॉक मिलान, सिलेंडरों के वजन और उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सेवा संकल्प अभियान के तहत प्लास्टिक के उपयोग को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान

आकाशवाणी चैक और चैपाटी में दुकानदारों,विक्रेताओं एवं आम नागरिकों को किया गया जागरूक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंगलवार को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर (आवास एवं पर्यावरण विभाग) तथा नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के संयुक्त तत्वावधान में शहर में प्लास्टिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत आकाशवाणी चैक एवं चैपाटी क्षेत्र में स्थानीय दुकानदारों, विक्रेताओं और आम नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने की समझाइश दी गई। पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं नगर निगम की टीम द्वारा दुकानदारों और नागरिकों के बीच जागरूकता पम्पलेट का वितरण भी किया गया। टीम ने बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान करने तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण में सक्रिय सहभागिता करने का संदेश दिया।

घटती-घटना विशेष कुर्सी के उस पार: जनता ने सरकार चुनी थी, अपना मालिक नहीं...सत्ता जनता की है या सत्ता के इशारे पर जनता?

चुनाव में जिस उंगली की स्याही से सरकार बनती है,उसी जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचते-पहुंचते इतनी कमजोर क्यों हो जाती है?

तीन साल पूरे होने में करीब दो महीने शेष, फिर भी सवाल वही...कमियां दिखाने वालों की सुनवाई होगी या व्यवस्था को ढकने का खेल जारी रहेगा?

तीन साल पूरे होने में अब लगभग दो महीने शेष–जिस भरोसे और बदलाव की उम्मीद में जनता ने सत्ता सौंपी,अब उसी भरोसे की कसौटी पर सरकार और प्रशासन

-न्यूज डेस्क-

लोकतंत्र में सत्ता किसी की निजी जागीर नहीं होती, सरकार किसी राजनीतिक दल की स्थायी संपत्ति नहीं होती और प्रशासन किसी व्यक्ति के इशारे पर चलने वाली व्यवस्था नहीं हो सकता, लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक मालिक नागरिक है, उसकी उंगली पर लगी स्याही सरकार बनाती भी है और समय आने पर सत्ता परिवर्तन का रास्ता भी खोलती है, फिर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी राजनीति इस मूल सत्य को भूलती जा रही है? क्या अब लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था आकार ले रही है जिसमें जनता चुनाव तक सबसे महत्वपूर्ण होती है,लेकिन सरकार बनते ही सत्ता स्वयं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है? जिस जनता के भरोसे सरकार बनती है, क्या उसी जनता की भावनाओं को बाद में राजनीतिक सुविधा के अनुसार समझा और इस्तेमाल किया जाने लगता है? यह सवाल केवल किसी एक सरकार या दल का नहीं है, पिछले कई वर्षों में अलग-अलग सरकारों के कामकाज को लेकर ऐसे सवाल उठते रहे हैं, जनता जब एक व्यवस्था से निराश होती है तो दूसरी को मौका देती है, वह केवल चेहरे नहीं बदलती, बल्कि अपनी उम्मीद एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखती है,और यही किसी नई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।

पुरानी सरकार से टूटा भरोसा नई सरकार को सौंपा गया था...

छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन केवल राजनीतिक आंकड़ों का परिणाम नहीं था,उसके पीछे जनता की अपनी अपेक्षाएं और बदलाव की आकांक्षाएं थीं,लोगों ने सोचा कि अब परिस्थितियां बदलेंगी,प्रशासन में कसावट आएगी, काम अधिक ईमानदारी से होंगे,भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, सरकारी खजाने की रक्षा होगी,अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी,जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा, और यदि व्यवस्था में कोई कमी सामने आएगी तो उसे दबाया नहीं जाएगा, बल्कि सुधारा जाएगा, लेकिन आज मौजूदा सरकार के तीन साल पूरे होने में अब लगभग दो महीने शेष हैं,यह समय केवल उपलब्धियां गिनाने का नहीं है,यह उस भरोसे की कसौटी का समय भी है, जिसके सहारे जनता ने सत्ता सौंपी थी,अब जनता यह पूछ सकती है कि लगभग तीन वर्षों के सफर में प्रशासनिक कसावट कितनी आई? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कितनी प्रभावी हुई? शिकायतों पर कितनी गंभीरता दिखाई गई? ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था कितनी पारदर्शी हुई? और जिन मामलों में पत्रकारों,जागरूक नागरिकों या आम लोगों ने कमियां सामने रखीं,उनमें कितने मामलों में निष्पक्ष जांच और सुधार दिखाई दिया?

जिस उंगली ने सरकार बनाई, उसे कठपुतली मत समझिए...

लोकतंत्र का शायद सबसे सुंदर दृश्य वह होता है जब एक साधारण नागरिक मतदान केंद्र से अपनी उंगली पर स्याही लगाकर बाहर निकलता है,उस एक उंगली में सरकार बनाने की ताकत होती है,उसी उंगली से मुख्यमंत्री की सत्ता का रास्ता बनता है,उसी से विधायक चुने जाते हैं, उसी से राजनीतिक दल सत्ता में पहुंचते हैं,लेकिन चुनाव समाप्त होते ही यदि वही नागरिक सरकारी कार्यालय में अपनी समस्या लेकर घंटों खड़ा रहे,अधिकारी उसकी बात न सुनें और जनप्रतिनिधि तक पहुंचना कठिन हो जाए तो लोकतंत्र के सामने सवाल खड़ा होता है,जिस उंगली ने आपको सत्ता दी,उसी नागरिक को व्यवस्था की कठपुतली कैसे बनाया जा सकता है? जनता ने सरकार चुनी है, अपना मालिक नहीं,जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं,शासक नहीं,और जनता ने पांच साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, अपनी आवाज नहीं।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आखिर किसलिए है?

यहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी शुरू होती है, पत्रकारिता का काम सरकार बनाना नहीं है,सरकार गिराना भी नहीं है,पत्रकारिता का काम उस जगह सवाल खड़ा करना है जहां व्यवस्था सवाल पैदा करती है,सहकारिता में कमी है तो उसे सामने लाना पत्रकारिता है,स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ी है तो सवाल उठाना पत्रकारिता है, शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता है तो उसे सामने रखना पत्रकारिता है,सरकारी खरीद में संदेह है तो दस्तावेज मांगना पत्रकारिता है, किसी योजना में जनता का पैसा खर्च हुआ और जमीन पर परिणाम दिखाई नहीं दिया तो उसका हिसाब मांगना पत्रकारिता है,यही भूमिका जागरूक नागरिक की भी है, जब कोई पत्रकार या जागरूक नागरिक सरकार को बताता है कि 'यहां कमी है',तो वह जरूरी नहीं कि सरकार का विरोध कर रहा हो, वह सरकार को वह चीज दिखा रहा है जो संभवतः ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच नहीं रही, ऐसे में सत्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह कमी की जांच करे।

कहीं ऐसा तो नहीं-नीचे गड़बड़ी करो और ऊपर पकड़ मजबूत कर लो?

लोकतंत्र के लिए इससे अधिक खतरनाक संस्कृति शायद ही कोई होगी कि नीचे स्तर पर अनियमितता पैदा करने वाला व्यक्ति ऊपर के सत्ता या प्रशासनिक तंत्र में अपनी पहुंच मजबूत कर ले और फिर उसी पहुंच को अपना कवच बना ले,यदि ऐसा होने लगे तो ईमानदार अधिकारी क्या करेगा? जागरूक नागरिक क्या करेगा? पत्रकार क्या करेगा? शिकायतकर्ता क्या करेगा? क्योंकि उसे लगेगा कि जिसकी शिकायत वह ऊपर लेकर जा रहा है,वही व्यक्ति उससे पहले ऊपर अपनी पहुंच बना चुका है,यहीं शासन की निष्पक्षता की असली परीक्षा होती है,सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सत्ता तक पहुंच किसी के लिए जांच से बचने का पासपोर्ट नहीं हो सकती।

सरकारी खजाना किसी की कमाई का रास्ता नहीं...

सरकारी खजाने का एक-एक रुपया जनता का है,वह किसी सरकार,मंत्री,अधिकारी,ठेकेदार या प्रभावशाली व्यक्ति का निजी धन नहीं है,जनता टैक्स देती है,उसी पैसे से सड़क बनती है,अस्पताल चलता है,विद्यालय चलता है, योजनाएं बनती हैं, सरकारी खरीद होती है,विकास कार्य होते हैं,इसलिए जहां भी सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है,वहां सवाल उठाना सरकार विरोध नहीं है,यह जनता के पैसे का हिसाब मांगना है,और यदि पत्रकार सरकारी खजाने को हो रहे संभावित नुकसान की ओर ध्यान दिलाता है तो सरकार को पत्रकार से नाराज होने के बजाय खजाने की रक्षा करनी चाहिए।

सहकारिता से स्वास्थ्य और शिक्षा तक-सवाल इसलिए उठे कि सुधार हो...

पत्रकारों ने सहकारिता के मामलों पर सवाल उठाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियां सामने रखीं, शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न किए,विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए,इन सवालों का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जाए,मूल उद्देश्य यह है कि जनता को बेहतर व्यवस्था मिले,लेकिन यदि बार-बार कमियां सामने आने के बाद भी ठोस संज्ञान दिखाई न दे तो पत्रकार भी पूछेगा और जनता भी...आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कारण है? क्या शिकायत में तथ्य नहीं थे? तो सरकार बताए, क्या जांच हुई? तो उसकी स्थिति बताए,क्या कोई दोषी नहीं मिला? तो निष्कर्ष सामने रखे, लेकिन चुप्पी संदेह को खत्म नहीं करती,चुप्पी संदेह को बढ़ाती है।

प्रशासन सत्ता के इशारे पर नहीं,कानून से चले

सरकार और प्रशासन के संबंध की मर्यादा लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है,सरकार नीति तय करती है, प्रशासन उसे कानून के अनुसार लागू करता है,लेकिन यदि प्रशासन राजनीतिक इशारे समझने लगे तो व्यवस्था कमजोर होती है,यदि ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रशासनिक आवश्यकता के बजाय प्रभाव का खेल बन जाए तो अधिकारियों को भी संदेश जाता है कि काम से ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध हैं,यदि कोई अधिकारी राजनीतिक सुविधा के लिए उपयोगी है तो वह सुरक्षित और यदि कोई असुविधाजनक है तो उसका स्थानांतरण–ऐसी धारणा भी प्रशासनिक मनोबल के लिए नुकसानदेह है, सरकार को ऐसी हर धारणा को अपने काम से गलत साबित करना चाहिए,क्योंकि प्रशासनिक कसावट आदेश से नहीं, निष्पक्षता से आती है।

सबसे खतरनाक भ्रम–बहुमत ही जनसमर्थन का स्थायी प्रमाण है...

बहुमत सरकार बनाने का अधिकार देता है,लेकिन वह पांच साल के लिए जनता की बिना शर्त स्वीकृति नहीं देता,जनता हर दिन सरकार का मूल्यांकन करती है,उसके लिए सरकार का मतलब केवल मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं हैं,तहसील का कर्मचारी भी सरकार है, पटवारी भी सरकार है, अस्पताल का सिस्टम भी सरकार है,स्कूल की व्यवस्था भी सरकार है, पुलिस थाना भी सरकार है, जिला कार्यालय भी सरकार है,जब आम आदमी इन व्यवस्थाओं से परेशान होता है तो वह यह नहीं कहता कि केवल अधिकारी खराब है,वह कहता है सरकार में सुनवाई नहीं है,यही कारण है कि नीचे स्तर की हर प्रशासनिक विफलता अंततः ऊपर बैठी सत्ता के खाते में जाती है।

तीन साल पूरे होने में दो महीने-अब प्रचार नहीं,परिणाम की कसौटी

मौजूदा सरकार के तीन साल पूरे होने में अब लगभग दो महीने शेष हैं,यह वह समय है जब सरकार को भी अपने काम का गंभीर आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, जनता ने जिस भरोसे से सरकार बनाई थी,उसका कितना सम्मान हुआ? प्रशासन कितना जवाबदेह बना? भ्रष्टाचार पर कितनी निर्णायक कार्रवाई हुई? जिन मामलों को मीडिया ने सामने रखा,उनमें कितनों पर जांच हुई? जिन अधिकारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठे,उनमें क्या सुधार हुआ? सरकारी खजाने को बचाने के लिए क्या कदम उठे? ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था कितनी निष्पक्ष बनी? और सबसे महत्वपूर्ण क्या जनता आज महसूस करती है कि उसकी सरकार उसकी सुन रही है? इन सवालों का उत्तर सरकारी विज्ञापन तय नहीं करेगा,इनका उत्तर जनता का अनुभव तय करेगा।

कमियां बताने वालों से सवाल क्यों, कमियां पैदा करने वालों से जवाब क्यों नहीं?

आज सबसे बड़ा सवाल यही है,पत्रकार ने कमी दिखाई,जागरूक नागरिक ने शिकायत की,दस्तावेज सामने आए, सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठा,विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हुआ,तो इसके बाद क्या होना चाहिए? जांच...तथ्यों की पड़ताल...जिम्मेदारी तय करना,और यदि शिकायत सही है तो कार्रवाई,यदि शिकायत गलत है तो दस्तावेजों के साथ उसका खंडन,यही स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है,लेकिन यदि किसी मामले में कमी सामने आने के बाद कमी को दूर करने के बजाय उसे ढकने,सवाल को कमजोर करने या संबंधित लोगों को संरक्षण मिलने की धारणा पैदा हो,तो मामला गंभीर हो जाता है,क्योंकि तब संदेश यह नहीं जाता कि सरकार ने कमी सुधारी,संदेश यह जाता है कि व्यवस्था ने सवाल से निपटने का रास्ता खोज लिया।

क्या हमारी दिखाई कमी किसी के लिए 'सेटिंग' का रास्ता बन रही है?

यह सवाल कड़वा जरूर है,लेकिन पूछा जाना चाहिए,यदि पत्रकार किसी विभाग में गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है और बाद में उसी व्यवस्था से जुड़े लोगों के प्रभावशाली होने की चर्चा शुरू हो जाए,तो जनता क्या सोचेगी? यदि कार्रवाई की उम्मीद थी और उसकी जगह नजदीकियां बढ़ती दिखाई दें तो क्या संदेश जाएगा? क्या पत्रकार द्वारा दिखाई गई कमी सुधार का माध्यम बनी? या उस कमी ने संबंधित लोगों को यह बता दिया कि अब उन्हें ऊपर तक अपनी व्यवस्था मजबूत करनी है? यहीं से 'सेटिंग' और संरक्षण की धारणा पैदा होती है, ऐसी धारणा सही है या गलत, इसे साबित करने का सबसे अच्छा तरीका पारदर्शी जांच और कार्रवाई है, यदि आरोप गलत है तो सरकार तथ्य सामने रखे, लेकिन यदि शिकायत सही है तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो,कार्रवाई होनी चाहिए, यही सुशासन है।

जो सवाल बने उसे निपटा दो-यह राजनीति नहीं हो सकती

यदि कोई व्यक्ति सत्ता के लिए असुविधाजनक सवाल उठाता है तो उसे विरोधी मान लेना आसान है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं होता,पत्रकार सवाल पूछे तो वह दुश्मन नहीं, जागरूक नागरिक शिकायत करे तो वह दुश्मन नहीं,कर्मचारी अनियमितता बताए तो वह दुश्मन नहीं, विपक्ष सवाल करे तो वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है,जो सरकार आलोचना सुन सकती है, वही अपनी कमियां सुधार सकती है, और जो केवल प्रशंसा सुनना चाहती है, वह धीरे-धीरे वास्तविकता से दूर होती जाती है।

जनता चुप है, लेकिन क्या वह कुछ देख नहीं रही?

सत्ता को सबसे बड़ी भूल यह नहीं करनी चाहिए कि जनता की चुप्पी को सहमति समझ लिया जाए, हर नागरिक सड़क पर नहीं उतरता,हर आदमी सोशल मीडिया पर नहीं लिखता,हर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंचता,हर कर्मचारी खुलकर नहीं बोल सकता,हर व्यापारी सत्ता से टकराना नहीं चाहता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे कुछ देख नहीं रहे, जनता देख रही है—किसकी शिकायत पर कार्रवाई हुई,किसकी फाइल दब गई,किस अधिकारी का स्थानांतरण हुआ,कौन प्रभावशाली बना रहा, किसके खिलाफ दस्तावेज आए,किसे संरक्षण मिलने की चर्चा हुई,किस पत्रकार ने सवाल उठाया और सरकार ने उस सवाल पर क्या किया, जनता बोल नहीं रही हो सकती है,लेकिन वह हिसाब जरूर रख रही है।

भावनाओं से खेलकर सत्ता चल सकती है,भरोसा नहीं...

राजनीति में भावना की अपनी भूमिका होती है,लोग उम्मीद से वोट देते हैं,विश्वास से सरकार चुनते हैं,लेकिन उसी भावना को यदि केवल चुनावी संसाधन समझ लिया जाए तो परिणाम खतरनाक होते हैं,जनता को बार-बार भावनाओं से बांधकर वास्तविक समस्याओं से दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अंततः किसान को खेत देखना है,युवा को रोजगार चाहिए, बीमार को इलाज चाहिए,बच्चे को शिक्षा चाहिए, ग्रामीण को सड़क चाहिए, परिवार को पानी और बिजली चाहिए,और नागरिक को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए,इन जरूरतों का जवाब भावना नहीं, शासन देता है।

सत्ता के पास ताकत है, लेकिन जनता के पास समय है...

सत्ता के पास कुर्सी है,प्रशासन है,संसाधन हैं, संगठन है, निर्णय लेने की शक्ति है,लेकिन जनता के पास एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल वह हर दिन नहीं करती,वह है उसका लोकतांत्रिक निर्णय,जनता कई बार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती,वह समय का इंतजार करती है,देखती है, समझती है,तुलना करती है,याद रखती है, और फिर अपना निर्णय देती है,इसीलिए जनता की चुप्पी को कमजोरी समझना किसी भी सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है।

कमी दिखाने वाले को नहीं, कमी पैदा करने वाले को देखिए

सरकार के लिए रास्ता बहुत सीधा है,पत्रकार कमी दिखाए तो उसकी जांच कीजिए,जागरूक नागरिक शिकायत करे तो सुनिए,दस्तावेज सामने आएं तो परीक्षण कीजिए, आरोप गलत हो तो तथ्य रखिए,आरोप सही हो तो कार्रवाई कीजिए,सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा हो तो रोकिए, अधिकारी दोषी हो तो जिम्मेदारी तय कीजिए,राजनीतिक संरक्षण की धारणा बने तो पारदर्शिता से उसे तोड़िए, यही सुशासन की पहली कसौटी है,कमी दिखाने वाले से लड़ने में ऊर्जा खर्च करने के बजाय कमी पैदा करने वाले से जवाब मांगिए।

जनता ने सरकार चुनी है,अपनी भावनाएं गिरवी नहीं रखीं- लोकतंत्र में जनता पांच साल के लिए अपना मालिक नहीं चुनती,वह अपना प्रतिनिधि चुनती है,सरकार को शासन का अधिकार मिलता है,मनमानी का नहीं, प्रशासन को कानून लागू करने की शक्ति मिलती है,किसी के इशारे पर चलने की नहीं,और सत्ता को जनता का भरोसा मिलता है,उसकी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं,आज मौजूदा सरकार के तीन साल पूरे होने में करीब दो महीने शेष हैं तो यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिस उम्मीद के साथ जनता ने पुरानी व्यवस्था से अपना भरोसा हटाकर नई सरकार को सौंपा था, क्या उस उम्मीद की रक्षा हुई? इसका उत्तर सत्ता स्वयं नहीं दे सकती, इसका उत्तर जनता देगी।

अंत में सत्ता से सिर्फ इतना—जनता सब देख रही है- कुर्सी आज है,कल किसी और की होगी,पद आज है, कल कोई दूसरा उस पर बैठेगा,अधिकारी आज प्रभावशाली है,कल स्थान बदल जाएगा,राजनीतिक समीकरण आज अनुकूल हैं,कल बदल सकते हैं, लेकिन जनता का अनुभव नहीं बदलता,उसे याद रहता है कि उसकी शिकायत किसने सुनी,किसने टाल दी,किसने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की,किसने आंखें बंद कर लीं, किसने सरकारी खजाने की रक्षा की,और किसने कमियां सामने आने के बाद भी उन्हें ढकने दिया,इसलिए सत्ता को जनता की चुप्पी से भ्रमित नहीं होना चाहिए,जनता चुप है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह देख नहीं रही,जनता बोल नहीं रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह समझ नहीं रही, जनता सड़क पर नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके भीतर सवाल नहीं हैं,वह देख रही है, समझ रही है, हिसाब रख रही है,और अपने समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला कुर्सी नहीं करती–जनता करती है,और शायद सत्ता के लिए सबसे जरूरी बात यही याद रखना है–जनता ने सरकार चुनी थी,अपना मालिक नहीं।

घटती घटना के कुछ धारदार सवाल

1. जिस उंगली ने सत्ता बनाई,उसी की आवाज क्यों दबने लगी?
2. सत्ता जनता की है,भावनाओं से खेलने का अधिकार किसे?
3. तीन साल की दहलीज पर सत्ता से बड़ा सवाल—जनता कहां है?
4. कमियां बताई तो सुधार नहीं,उन्हें ढकने का खेल क्यों?
5. सवाल उठे तो कार्रवाई क्यों नहीं,'सेटिंग' की चर्चा क्यों?
6. जनता ने बदलाव चुना था,व्यवस्था का पुराना खेल नहीं
7. कुर्सी बदली,क्या शासन की कार्यसंस्कृति भी बदली?
8. पत्रकारों ने आईना दिखाया,सत्ता ने चेहरा क्यों नहीं देखा?
9. सरकारी खजाना जनता की अमानत,फिर हिसाब से परहेज क्यों?
10. जनता चुप है,लेकिन सब देख रही है
11. सत्ता के तीन साल,सवालों का हिसाब कौन देगा?
12. लोकतंत्र में जनता मालिक,सत्ता सिर्फ जिम्मेदारी
13. कमी दिखाने वालों से सवाल क्यों,कमी करने वालों से जवाब क्यों नहीं?
14. भावनाओं से सत्ता मिल सकती है,भरोसा नहीं
15. कुर्सी की ताकत बड़ी या जनता की उंगली?

CMYK

मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था भी खत्म,ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

10 दिन का अल्टीमेटम–रपटा मरम्मत,स्थायी पुल और 15 दिन में ध्वस्त निर्माण की जांच की मांग...

30 जून 2025 को टूटा था मुख्य पुल, 15 महीने बाद भी स्थायी समाधान नहीं

ग्रामीणों का सवाल–करोड़ों की सड़क का भूमिपूजन हो सकता है तो गोबरी नदी के पुल की स्वीकृति और निर्माण क्यों नहीं?

पुल टूटा 15 महीने से,रपटा 15 दिन में बहा–अब एनएच-43 पर आंदोलन

15 महीने का इंतजार,15 लाख का रपटा और सिर्फ 15 दिन की राहत

गोबरी पुल का दर्द : 15 महीने से रास्ता बंद, 15 लाख का रपटा भी बहा...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गोबरी नदी का पुल टूटे हुए 15 महीने बीत गए, इस दौरान ग्रामीणों ने इंतजार किया,आवेदन दिए,अधिकारियों से गुहार लगाई और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की,जब लंबे समय तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भी रास्ता निकालने की कोशिश की,इसके बाद प्रशासन ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से रपटा पुल बनवाया,लेकिन जिस वैकल्पिक व्यवस्था को ग्रामीणों की परेशानी दूर करने के लिए बनाया गया था,वह भी महज 15 दिन में पानी के तेज बहाव में बह गई। अब स्थिति यह है कि मुख्य पुल पहले से टूटा है,15 लाख का रपटा भी खत्म हो चुका है और वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर ग्रामीणों के पास कुछ नहीं बचा है,यही कारण है कि अब ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर आने की तैयारी में है, 23 सितंबर को बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर रेना जमील को ज्ञापन सौंपा,ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गईं–ध्वस्त रपटा की तत्काल मरम्मत,गोबरी नदी पर स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण पुल का निर्माण तथा महज 15 दिनों में बह गए रपटा पुल की निष्पक्ष तकनीकी जांच कर जिम्मेदारी तय करना। साथ ही 10 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर एनएच-43 पर डुमरिया स्थित विश्वकर्मा ढाबे के पास धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम की पूर्व चेतावनी दी गई है, अब यह मामला सिर्फ एक पुल के टूटने का नहीं रह गया है, यह 15 महीने के इंतजार,15 लाख के रपटा, 15 दिन में उसके बह जाने और अब प्रशासन को दिए गए 10 दिन के अल्टीमेटम का मामला बन चुका है।

30 जून 2025 को टूटा था पुल,15 महीने में नहीं मिला स्थायी रास्ता- गोबरी नदी पर बना मुख्य पुल 30 जून 2025 को टूट गया था, पुल टूटते ही डुमरिया नाका से शिवप्रसाद नगर, भंवराही और आसपास के गांवों की आवाजाही प्रभावित हो गई, पुल किसी एक गांव का रास्ता नहीं था,इस मार्ग से रोजाना ग्रामीणों का आवागमन होता था,स्कूल जाने वाले बच्चे,किसान, मजदूर,मरीज और अन्य जरूरतमंद लोग इसी संपर्क पर निर्भर थे,पुल टूटने के बाद सबसे पहली जरूरत थी–तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था,और दूसरी जरूरत थी–स्थायी पुल का निर्माण,लेकिन 15 महीने बाद भी ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्थायी पुल का निर्माण आखिर कब होगा, समय बीतता गया और समस्या बनी रही।

क्या 15 लाख की वैकल्पिक व्यवस्था केवल 15 दिन के लिए थी?- यह सवाल अब ग्रामीणों के बीच सबसे ज्यादा उठ रहा है, रपटा निर्माण की लागत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है,ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इतनी राशि खर्च होने के बावजूद संरचना 15 दिन भी नहीं टिक सकी,ग्रामीणों के इन आरोपों की वास्तविकता तकनीकी जांच से ही स्पष्ट होगी,लेकिन 15 दिन में निर्माण के बह जाने की घटना अपने आप में जांच का पर्याप्त आधार जरूर बनती है,इसीलिए ज्ञापन में केवल मरम्मत की मांग नहीं की गई है,बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच,उपयोग की गई सामग्री की जांच,निर्धारित तकनीकी मापदंडों की जांच,निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की भूमिका की जांच,संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच की मांग की गई है,ग्रामीण चाहते हैं कि जांच किसी सामान्य कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे,बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों से कराई जाए।

ग्रामीणों का गंभीर आरोप— भुगतान भी रुका- इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सामने आई है कि पूर्व में बनाए गए रपटा पुल के ठेकेदार का भुगतान विभाग द्वारा रोका गया है,यदि विभाग ने भुगतान रोक रखा है तो इसके पीछे कारण भी सार्वजनिक होना चाहिए,क्या भुगतान रोकने की वजह रपटा का 15 दिन में बह जाना है? क्या निर्माण की गुणवत्ता पर विभागीय स्तर पर सवाल उठे हैं? क्या तकनीकी जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है? क्या ठेकेदार को नोटिस दिया गया है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है? इन सवालों का जवाब अब जरूरी हो गया है, क्योंकि एक तरफ जनता का पैसा खर्च हुआ और दूसरी तरफ जनता को उसका स्थायी लाभ नहीं मिला।

7 जुलाई को खतरे की सूचना, फिर भी क्यों नहीं बचा रपटा?- ज्ञापन में ग्रामीणों ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य रखा है,ग्रामीणों के अनुसार, 7 जुलाई 2026 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भैयाथान को पत्र के माध्यम से पुल की स्थिति और संभावित खतरे से अवगत कराया गया था,यानी प्रशासन को पहले ही स्थिति की जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद बाद में रपटा बह गया, अब सवाल यह भी है कि 7 जुलाई के पत्र पर क्या कार्रवाई हुई? क्या मौके का निरीक्षण किया गया? क्या निर्माण की तकनीकी स्थिति देखी गई? क्या संबंधित विभाग को कोई निर्देश दिया गया? क्या संभावित खतरे को देखते हुए कोई सुरक्षा उपाय किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों? इन सवालों का जवाब भी जांच के दायरे में आना चाहिए।

रपटा बहा तो हजारों लोगों की समस्या फिर वहीं- रपटा के बह जाने का असर सिर्फ उस स्थान तक सीमित नहीं है,ज्ञापन में बताया गया है कि इसके कारण स्कूली बच्चों, किसानों,मजदूरों, मरीजों और 108 जैसे आपातकालीन वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है,यह स्थिति बताती है कि गोबरी नदी का पुल ग्रामीणों के लिए केवल सुविधा का साधन नहीं है,यह उनके दैनिक जीवन की आवश्यकता है, किसान के लिए खेत और बाजार के बीच का रास्ता है,बच्चों के लिए स्कूल जाने का रास्ता है,मरीज के लिए अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता है,और आपातकालीन वाहन के लिए समय पर मरीज तक पहुंचने का रास्ता है,ऐसे में 15 महीने तक पुल का स्थायी समाधान नहीं होना ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या है।

अब कलेक्टर के आश्वासन पर टिकी निगाहें- 23 सितंबर को ग्रामीणों ने कलेक्टर रेना जमील को ज्ञापन सौंपा, प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान 15 दिनों के भीतर धरातल पर काम शुरू कराने का आश्वासन दिए जाने की जानकारी सामने आई है,अब ग्रामीणों के सामने दो समय सीमाएं हैं,ग्रामीणों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है,वहीं कलेक्टर की ओर से 15 दिन में काम शुरू कराने का आश्वासन दिया गया है,इसका अर्थ साफ है–अब ग्रामीण यह देखना चाहते हैं कि आश्वासन के बाद वास्तव में मशीनें कब पहुंचती हैं और काम कब शुरू होता है, क्योंकि इस मामले में ग्रामीण पहले ही लंबे समय तक इंतजार कर चुके हैं।

ग्रामीणों ने पहले गुहार लगाई,फिर खुद मोर्चा संभाला

ग्रामीणों के ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्य पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से कई बार पुल निर्माण की मांग की,आवेदन और निवेदन का दौर चला, जब समस्या का स्थायी समाधान सामने नहीं आया तो ग्रामीणों ने जनसहयोग से स्वयं रपटा निर्माण शुरू करने का कदम उठाया,इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और रपटा निर्माण के लिए करीब 15 लाख रुपये की शासकीय स्वीकृति दी गई,यानी जिस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे, वह आखिरकार बनी,ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इससे कम से कम आवागमन की समस्या कुछ समय के लिए दूर हो जाएगी,लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।

15 लाख का रपटा...और सिर्फ 15 दिन की राहत

रपटा बना, लागत करीब 15 लाख रुपये, लेकिन राहत मिली कितने दिन? सिर्फ 15 दिन, पानी का बहाव बढ़ा और रपटा पुल धराशायी हो गया, यहीं से सवाल और गंभीर हो जाता है, अगर किसी सार्वजनिक निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता यह उम्मीद करती है कि वह निर्माण अपने निर्धारित उद्देश्य को पूरा करेगा, लेकिन यहां स्थिति उलट है, 15 महीने से टूटा मुख्य पुल, 15 लाख रुपये से बना वैकल्पिक रपटा, 15 दिन में रपटा भी बह गया, अब ग्रामीणों के पास फिर वही समस्या है, जो मुख्य पुल टूटने के दिन थी।

तीन मांगें, लेकिन मुद्दा एक—स्थायी रास्ता, ज्ञापन में ग्रामीणों ने तीन मुख्य मांगें रखी हैं...

1. तत्काल रपटा की मरम्मत ध्वस्त रपटा की तत्काल मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन बहाल किया जाए।
2. स्थायी पुल का निर्माण गोबरी नदी पर स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण पुल का निर्माण स्वीकृत कर धरातल पर काम शुरू किया जाए।
3. 15 दिन में बह गए रपटा की जांच निर्माण की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री और तकनीकी मापदंडों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार,निर्माण एजेंसी और अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए,इन तीनों मांगों के पीछे ग्रामीणों की एक ही जरूरत है–हर मौसम में सुरक्षित आवागमन।

स्थायी पुल की स्वीकृति कहां अटकी है?- अब यह सबसे बड़ा सवाल है, 30 जून 2025 को पुल टूट गया, 15 महीने गुजर गए, वैकल्पिक रपटा बना,15 दिन में बह गया,अब ग्रामीण फिर स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, तो आखिर स्थायी पुल की स्वीकृति कहां अटकी है? क्या प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ? क्या तकनीकी स्वीकृति लंबित है? क्या प्रशासकीय स्वीकृति बाकी है? क्या बजट उपलब्ध नहीं है? क्या निविदा की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई? या कोई अन्य प्रशासनिक कारण है? इनमें से वास्तविक स्थिति क्या है,यह संबंधित विभाग और शासन को स्पष्ट करना चाहिए,ग्रामीणों को अब सिर्फ यह सुनना नहीं है कि पुल बनेगा,वे जानना चाहते हैं की कब बनेगा? किस राशि से बनेगा? कब काम शुरू होगा? कब पूरा होगा?

इधर सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन, उधर पुल का इंतजार- इसी क्षेत्र में डुमरिया-केवड़ा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर हाल ही में भूमिपूजन हुआ है, सड़क परियोजना के लिए 30.41 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति की बात सामने आ चुकी है,यहीं से गोबरी नदी का मामला और बड़ा हो जाता है, एक तरफ सड़क चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना आगे बढ़ रही है,दूसरी तरफ उसी मार्ग की महत्वपूर्ण कड़ी गोबरी नदी पर ग्रामीणों को स्थायी पुल का इंतजार है,यही वजह है कि ग्रामीण अब सवाल कर रहे हैं की जब सड़क चौड़ीकरण की परियोजना आगे बढ़ सकती है तो उसी मार्ग के टूटे पुल का स्थायी समाधान क्यों नहीं? सड़क तभी पूरी तरह उपयोगी होगी जब उस पर निर्बाध आवागमन हो, यदि नदी के पास पहुंचकर रास्ता फिर टूट जाए या आवागमन बाधित हो जाए तो चौड़ी सड़क का पूरा लाभ ग्रामीणों तक पहुंचना मुश्किल होगा।

करोड़ों की सड़क और 15 लाख का रपटा–दोनों की कहानी अलग क्यों?

डुमरिया-केवड़ा सड़क परियोजना के भूमिपूजन के बाद क्षेत्र में विकास की चर्चा है, लेकिन गोबरी नदी की स्थिति उसी विकास की दूसरी तस्वीर सामने रखती है,एक तरफ करोड़ों की सड़क,दूसरी तरफ 15 लाख का रपटा, एक तरफ भूमिपूजन, दूसरी तरफ 15 महीने से टूटा पुल,एक तरफ विकास की बड़ी परियोजना,दूसरी तरफ ग्रामीणों के लिए नदी पार करने की मूल समस्या,यही विरोधाभास अब ग्रामीणों के आक्रोश की वजह बन रहा है।

अब सवाल केवल प्रशासन से नहीं, जनप्रतिनिधियों से भी- क्षेत्र के ग्रामीण लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृतियां और योजनाएं सामने आती हैं,तो गोबरी नदी का स्थायी पुल 15 महीने बाद भी क्यों नहीं बन पाया? यह सवाल स्थानीय विधायक एवं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण जनप्रतिनिधित्व के स्तर पर भी उठ रहा है,ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब केवल आश्वासन नहीं चाहिए,उन्हें चाहिए की स्थायी पुल, सुरक्षित रास्ता व जवाबदेही, और यदि 15 लाख का रपटा वास्तव में निर्माण संबंधी कमी के कारण बहा है तो दोषियों पर कार्रवाई।

अब एनएच-43 पर बैठने की तैयारी- ग्रामीणों ने अब प्रशासन को लिखित चेतावनी दे दी है, यदि 10 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो एनएच-43 पर डुमरिया स्थित विश्वकर्मा ढाबे के पास धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में इसे लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन बताया गया है और प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना दी गई है, जनपद सभापति राजू कुमार गुप्ता ने भी ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल होने की बात कही है, अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि आंदोलन की स्थिति बनने से पहले समस्या का समाधान किया जाए।

यह सिर्फ पुल नहीं, भरोसे का सवाल भी- 15 महीने का समय ग्रामीणों के लिए बहुत लंबा समय है, एक पुल टूटने के बाद तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ स्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहां पहले मुख्य पुल टूटा, फिर इंतजार हुआ,फिर रपटा बना, फिर रपटा 15 दिन में बह गया, और अब ग्रामीण फिर उसी जगह खड़े हैं,इसलिए यह सवाल अब सिर्फ 'पुल कब बनेगा?' का नहीं है, यह सवाल यह भी है कि क्या जनता की शिकायत को समय पर गंभीरता से लिया गया? क्या निर्माण से पहले पर्याप्त तकनीकी तैयारी हुई? क्या चेतावनी मिलने के बाद कार्रवाई हुई? क्या निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी हुई? और–यदि गलती हुई तो जिम्मेदारी तय होगी या मामला फिर फाइलों में चला जाएगा?

दैनिक घटती-घटना का धारदार सवाल ये है की...गोबरी नदी का पूरा घटनाक्रम अब पांच आंकड़ों में समझा जा सकता है 30 जून 2025 — पुल टूटा, 15 महीने – ग्रामीणों का इंतजार, 15 लाख – रपटा निर्माण की लागत।, 15 दिन – रपटा की उम्र, 10 दिन – ग्रामीणों का अल्टीमेटम,और अब कलेक्टर की ओर से 15 दिन में काम शुरू कराने का आश्वासन,इन आंकड़ों के बीच जनता का सवाल बिल्कुल सीधा है 15 महीने में स्थायी पुल नहीं बना और 15 लाख का रपटा 15 दिन में बह गया, आखिर गोबरी नदी के नाम पर जनता कब तक इंतजार करती रहेगी रपटा 15 दिन में बहा तो गुणवत्ता की जांच कब होगी 7 जुलाई को खतरे की सूचना के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई ठेकेदार का भुगतान रोका गया है तो जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया कब पूरी होगी करोड़ों की सड़क का भूमिपूजन हो सकता है तो उसी रास्ते के टूटे पुल का स्थायी समाधान क्यों नहीं और सबसे बड़ा सवाल अब वैकल्पिक व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है,तो ग्रामीणों को स्थायी रास्ता कब मिलेगा ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी मांग रख दी है, प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। अब अगली तस्वीर कागज पर नहीं, गोबरी नदी के किनारे दिखाई देनी चाहिए–जहां या तो काम शुरू होगा, या फिर एनएच-43 पर ग्रामीणों का आंदोलन दिखाई देगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को दिए मार्गदर्शन, लक्ष्य तय कर नियमित अध्ययन पर दिया जोर

-संवाददाता-
एमसीबी 23 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

'सेवा संकल्प अभियान' के तहत युवाओं को शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर दिशा देने के उद्देश्य से शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ में कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग , छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अध्ययन की रणनीति,समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े,अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार,एसडीएम लिंगराज सिदार, डिप्टी कलेक्टर स्वप्निल वर्मा,सुश्री नेहा खलखो एवं डॉ. प्रशांत अग्रवाल महाविद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. श्राबनी चक्रवर्ती सहित अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं,बल्कि सही दिशा, स्पष्ट लक्ष्य और योजनाबद्ध तैयारी भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि

एवं क्षमता के अनुरूप कैरियर का चयन करने तथा निर्धारित लक्ष्य के लिए चरणबद्ध अध्ययन योजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों ने UPSC एवं CGPSC जैसी परीक्षाओं की प्रकृति,प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार सहित चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। साथ ही सामान्य अध्ययन,समसामयिक घटनाक्रम, भाषा,तर्कशक्ति एवं विषयवार तैयारी के महत्व को समझाया गया। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के लिए दैनिक समय-सारणी बनाने,विषयों के अनुसार समय निर्धारित करने तथा कठिन विषयों पर अतिरिक्त ध्यान देने की सलाह दी गई। परीक्षा की तैयारी के दौरान नोट्स बनाने,पुराने प्रश्नपत्र हल करने,मॉक टेस्ट देने और नियमित पुनरावृत्ति को अध्ययन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में असफलता या शुरुआती कठिनाइयों से निराश होने के बजाय अपनी कमियों की पहचान कर रणनीति में आवश्यक बदलाव करते हुए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कैरियर निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहने, समय का सदुपयोग करने तथा पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।

क्राइम पेट्रोल में फिर लौटेंगे अनूप सोनी वापसी को लेकर एक्टर ने दिया बड़ा संकेत

टेलीविजन के लोकप्रिय क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे अभिनेता अनूप सोनी ने शो में अपनी संभावित वापसी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। अनूप ने कहा है कि 'क्राइम पेट्रोल' के कई सीजन आते रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि भविष्य में कोई ऐसा सीजन जरूर आएगा, जिसमें वह एक बार फिर शो का हिस्सा बनेंगे।

हालांकि उन्होंने मौजूदा सीजन में अपनी वापसी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। 'क्राइम पेट्रोल' का नया संस्करण अभिनेता अजय देवगन के साथ वापस आया है। ऐसे में शो के पुराने दर्शकों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या लंबे समय तक कार्यक्रम का जाना-पहचाना चेहरा रहे अनूप सोनी भी आने वाले समय में इसमें नजर आ सकते हैं। अब अभिनेता ने खुद इस संभावना को खुला रखा है। वैरायटी इंडिया से बातचीत में अनूप सोनी ने अपनी संभावित वापसी को लेकर कहा, 'क्राइम पेट्रोल' के कई सीजन हैं। मुझे यकीन है कि कोई ऐसा सीजन जरूर आएगा जब मैं वापसी करूंगा। उनके इस बयान के बाद प्रशंसकों के बीच एक बार फिर उनकी वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अनूप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह मौजूदा सीजन में किसी एपिसोड या विशेष भूमिका में दिखाई देंगे या नहीं। उन्होंने भविष्य के किसी सीजन की संभावना की बात की है। इसलिए उनके बयान को मौजूदा संस्करण में वापसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। अनूप सोनी का नाम वर्षों से 'क्राइम पेट्रोल' के साथ जुड़ा रहा है। शो में उनकी गंभीर प्रस्तुति और अपराध की घटनाओं के साथ सामाजिक संदेश देने का अंदाज दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय हुआ। लंबे समय तक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के कारण अनूप की पहचान इस शो से काफी मजबूत हो गई थी। 'क्राइम पेट्रोल' की खासियत वास्तविक अपराध की घटनाओं से प्रेरित मामलों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करना रही है। कार्यक्रम में अपराध की कहानी के साथ लोगों को सतर्क रहने और अलग-अलग परिस्थितियों में सावधानी बरतने से जुड़े संदेश भी दिए जाते रहे हैं। अनूप सोनी की प्रस्तुति इस प्रारूप का अहम हिस्सा रही थी। शो के साथ उनका जुड़ाव इतना मजबूत रहा कि उनकी आवाज और प्रस्तुति शैली को दर्शक 'क्राइम पेट्रोल' की पहचान के तौर पर देखने लगे। यही कारण है कि नए संस्करण की चर्चा के साथ ही पुराने दर्शकों के बीच अनूप सोनी की वापसी को लेकर भी सवाल उठने लगे। अब अजय देवगन के शो से जुड़ने के बाद इसका प्रारूप नए तरीके से दर्शकों के सामने आया है। अजय देवगन हिंदी सिनेमा में पुलिस और क्राइम आधारित फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में निर्माताओं ने नए संस्करण में उनके स्टार पावर के साथ शो को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है।

दूसरी ओर अनूप सोनी ने अपनी वापसी की संभावना को खारिज नहीं किया है। उनका कहना साफ तौर पर यह संकेत देता है कि वह भविष्य में दोबारा 'क्राइम पेट्रोल' से जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए निर्माताओं की योजना और आने वाले सीजन के प्रारूप पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभिनेता ने फिलहाल किसी समयसीमा या सीजन का नाम नहीं बताया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में वापसी होने पर वह फिर से होस्ट की भूमिका निभाएंगे या किसी अलग प्रारूप में नजर आएंगे। इसलिए दर्शकों को इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अनूप सोनी टेलीविजन और फिल्मों दोनों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। अभिनय के साथ-साथ 'क्राइम पेट्रोल' की मेजबानी ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। शो में अपराध की घटनाओं को गंभीर तरीके से पेश करते हुए दर्शकों से सीधे संवाद करने की उनकी शैली काफी चर्चित रही।

धोखेबाज होते हैं इंसान,रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा,

सुनीता आहूजा का फूटा गुस्सा,बोलीं...इससे अच्छा तो जानवरों से प्यार करो

बीते दिन गोविंदा अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी के साथ स्पॉट किए गए थे, अब उनकी पत्नी सुनीता अहूजा ने क्रिप्टिक बयान दिया है, जो काफी चर्चा में हैं। सुनीता ने इंसानों को धोखेबाज बताया है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गणपति उत्सव के दौरान दोनों से जुड़े घटनाक्रमों ने उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। हाल ही में गोविंदा को लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान अभिनेत्री और कॉमेडियन कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया था। इसके बाद सुनीता का एक बयान सामने आया, जिसे सोशल मीडिया पर गोविंदा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सुनीता ने अपने बयान में सीधे तौर पर गोविंदा का नाम नहीं लिया। उनका बयान उनके पालतू कुत्ते विंटर को लेकर था, लेकिन उनके शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

सुनीता ने कहा- इंसानों से बेहतर होते हैं जानवर

मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी से बातचीत के दौरान सुनीता ने अपने पालतू कुत्ते विंटर के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने इंसानी रिश्तों और जानवरों के साथ अपने जुड़ाव को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा कि इंसानों से मिलने वाले रिश्तों में कभी-कभी धोखा देखने को मिलता है, जबकि जानवर बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। सुनीता के इसी बयान में 'धोखेबाज इंसान' वाली बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने इसे गोविंदा के साथ उनके रिश्ते से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सुनीता का इशारा किसी खास व्यक्ति की ओर था या वह सामान्य तौर पर अपने अनुभव के बारे में बात कर रही थीं।

लालबागचा राजा के दरबार में कोमल के साथ दिखे गोविंदा

गणपति उत्सव के दौरान गोविंदा के लालबागचा राजा पंडाल पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में रहे। अभिनेता यहां कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए थे। दोनों ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और वहां मौजूद लोगों और पैपराजी का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। इससे पहले सुनीता आहूजा भी लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं। दोनों के अलग-अलग समय पर पंडाल पहुंचने और गोविंदा के कोमल के साथ नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके वैवाहिक रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया। हालांकि गोविंदा और सुनीता दोनों की ओर से इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को उनके रिश्ते की स्थिति का पुख्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता।

सलमान खान के सपोर्ट में उतरे विवेक ओबेरॉय, ट्रोलिंग को लेकर रामायण एक्टर की दो टूक,बोले... नेगेटिविटी मत फैलाओ

सुपरस्टार समलान खान द्वारा ट्रोर्ल्स को करारा जवाब देने के मामले पर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने भाईजान को सपोर्ट किया है। हाल ही में बिग बॉस सीजन 20 के वीकेंड का वार एपिसोड में टी शर्ट उतारकर सलमान खान के उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जो उनके बढ़ते वजन और उम्र का मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा सलमान ने ट्रोर्ल्स को अन्य सेलेब्स को टारगेट करने पर भी खरी-खोटी सुनाई। इस मामले को लेकर इंडस्ट्री के तमाम फिल्मी सितारों ने भाईजान को सपोर्ट किया। अब इस मामले में नया नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय का जुड़ रहा है, जिन्होंने ट्रोलिंग पर अपना नजरिया पेश किया है।

कृष 3 एक्टर विवेक ओबेरॉय को हाल ही में कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक खास इवेंट में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के साथ समय बिताते हुए देखा गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विवेक ने बॉलीवुड क्रॉनिकल से खास बातचीत की और उनसे बिग बॉस 20 में सलमान के ट्रोल्स के खिलाफ बोलने के बारे में पूछा गया। जिस पर विवेक ओबेरॉय ने बेबाक में अंदाज में जवाब देते हुए कहा- किसी को भी ट्रोल करना नहीं चाहिए, ट्रोलिंग करना नेगेटिव चीज है। जीवन में इतने सारे पॉजिटिव काम करने के लिए हैं, उन पर फोकस करें और समाज में अपने आस-पास सकारात्मकता फैलाएं, नारात्मकता नहीं। आखिर नेगेटिविटी फैलाने से क्या हासिल होगा, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो। बेशक अपने इस बयान में विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से भाईजान ट्रोलिंग के खिलाफ हैं, उसी तर से विवेक भी मानते हैं कि ये एक बेहद खराब चीज है, जिससे कई सेलेब्स पर बुरा असर पड़ता है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा0) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

नीलाम-विज्ञापन

सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मनेन्द्रगढ वनमण्डल के अधीनस्थ काष्ठागार जनकपुर में उपलब्ध नये पुराना ईमारती काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है, इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्सन में अवश्य भाग लेवे। ई-ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार जनकपुर से प्राप्त कर सकते है।

डिपों का नाम- काष्ठागार जनकपुर
नीलाम दिनांक- 30.09.2026
नीलामी प्रारंभ - प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ

क्र	प्रजाति	नये अविक्रित काष्ठ		पुराने अविक्रित काष्ठ			
		लट्ठा	बल्ली	लट्ठा		बल्ली	
		घ.मी.	नग	नग	घ0मी0	नग	घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0.000	0	77	4.428	995	16.626
2	साल	8.000	200	13441	1524.531	2490	79.123
3	साजा	0.000	0	19	1.547	3	0.088
4	धावड़ा	0.000	0	11	0.960	1	0.017
5	हल्दू,मुण्डी,बांसा	0.000	0	2	0.087	0	0.000
6	नीलगिरी	0.000	0	0	0.000	560	2.993
	योगः–	8.000	200	13550	1531.553	4049	98.847
7	मिश्रित जलाऊ	-		-			
	योग :–	-		-			

टीपः– 1. क्रेता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2.केताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3.लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई.डी से लॉगईन करके देख सकते है।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़

जी.नं.-262703419/2

खेल-समाचार

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पहुंची भारत,खेले जाएंगे आठ मुकाबले

नई दिल्ली,23 सितम्बर 2026। शे होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत पहुंच चुकी है। सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुछ ही दिनों में सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इसके लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है। वेस्टइंडीज की टीम लंबे समय बाद भारत के दौरे पर आई है। सीरीज के मैचों का इंतजार किया जा रहा है। खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसमें खेलेंगे, इसलिए रोमांच अभी से अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। भारत पहुंचने के बाद टीम का स्वागत किया गया, जिसके फोटो वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं।

27 सितंबर से शुरू होगी भारत बनम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए भारत पहुंच चुकी है। सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाएगा, इसमें अब काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में टीम को आते ही अपनी तैयारी में जुटना होगा। सीरीज का दूसरा मैच 30 सितंबर और आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा। इसके बाद 6 अक्टूबर से पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यानी बैक टू बैक मैच हैं।

शे होप कर रहे हैं वनडे में वेस्टइंडीज की टीम की कप्तानी

हाल ही में वेस्ट इंडीज ने अपने स्क्वाड का ऐलान वनडे सीरीज के लिए कर दिया था। टीम की कमान शे होप को सौंपी गई है। इसके अलावा जॉन कैंपबेल, मैथ्यू फोर्ड जैसे विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाज टीम में हैं। यानी भारत के लिए ये सीरीज आसान नहीं होगी। वेस्टइंडीज की यही खासियत रहती है कि शुरू से लेकर आखिर तक बल्लेबाज तूफानी अंदाज में खेलती है। इसलिए गेंदबाजों को सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड और जेडन सील्स जैसे धाकड़ गेंदबाज भी टीम में हैं, जो जबदस्त गेंदबाजी करते हैं।

टीम इंडिया शुरू करेगी वनडे विश्व कप की तैयारी

अब से करीब एक साल बाद वनडे विश्व कप का आयोजन होना है, भारतीय टीम की तैयारी का ये पहला पड़ाव है। कहना होगा कि भारतीय टीम की विश्व कप की तैयारी इसी सीरीज से शुरू होने जा रही है। अगले साल का विश्व कप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इसके शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है। भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज की वनडे टीमः शे होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स।

रणजी ट्रॉफी के लिए असम टीम का ऐलान डेनिश दास को मिली कप्तानी

गुवाहाटी ,23 सितम्बर 2026। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए सीनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। असम ने बल्लेबाज डेनिश दास को टीम की कमान सौंपी है। 15 सदस्यीय टीम में युवा खिलाड़ियों के साथ घरेलू क्रिकेट का अच्छा अनुभव रखने वाले कई क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। असम अपने अभियान की शुरुआत पंजाब और त्रिपुरा के खिलाफ मुकाबलों से करेगा।रणजी ट्रॉफी का नया सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। शुरुआती मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से असम क्रिकेट एसोसिएशन ने संतुलित टीम चुनने की कोशिश की है। डेनिश दास को पहले दो मुकाबलों के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी देना टीम प्रबंधन का अहम फैसला माना जा रहा है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./....20(1) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती सुधा गुप्ता आ0/ पति स्व0 मुरारी प्रसाद गुप्ता व अन्य 01 जाति, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-देवीगंज रोड़, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 430 / 5 रकबा 850 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-29.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 15.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./....20(1) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सुरेश गुप्ता आ0/ पति स्व0 मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला देवीगंज रोड़, शीट नम्बर - 2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 377/3, 428/2, 430/2 रकबा 1500 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-29.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 15.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./....20(1) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका प्रमोद कुमार गुप्ता आ0 / पति स्व0 केदारनाथ गुप्ता जाति निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-देवीगंज रोड़, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 430/4 रकबा 850 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-29.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 15.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /अ-6-/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निसार अहमद आ0स्व0 मोहम्मद ईसा व अन्य निवासी एच. आई.जी. डी-36, अभिलाषा परिसर न्यू बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा जिला बिलासपुर छ0ग0 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 1945 / 12 रकबा 0.028 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो से पूर्व भूमिस्वामी विक्रेता छ0ग0होलीक्रास सिस्टर एसाशिएन का नाम विलोपित करते हुये आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 14.10.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 21/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(तीन)

मैं नरेश कुजूर सुपुत्र/सुपुत्रा/पत्नी झिपना...निवासी नटवरपारा कुबेरपुर सरगुजा एतद् द्वारा में पूर्णतः पुष्टि करता हूँ तथा निम्नानुसार घोषित करता हूँ ; मैं ग्राम-कुबेरपुर पोस्ट-सखौली सरगुजा का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने नाबालिग पुत्र/पुत्री इंमाबेल(Imanbel).से नाम बदलकर.इम्मानुएल कुजूर (EMMANUAL KUJUR). करवाना चाहता/चाहती हूँ।इस मामले में मैं अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/ रही हूं।

पालक
नरेश कुजूर
नटवरपारा,कुबेरपुर पोस्ट सखौली जिला सरगुजा (छ0ग0)

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता ब्रॉन्ज

इचिनोमिया सिटी,23 सितम्बर 2026। बुधवार को इचिनोमिया सिटी म्युनिसिपल जिम्नेजियम में चीन ने सेमीफाइनल में 3-1 से जीत हासिल करके भारत का खिताब जीतने का अभियान खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने एशियाई खेलों की पुरुष टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। यह दूसरा मौका है जब भारत ने एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पोडियम पर जगह बनाई है। उनका पिछला पदक 2023 हांग्जो खेलों में आया था, जहां सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल (डबल्स) में स्वर्ण पदक जीता था।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं विकास की गति होगी और तेज : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर,23 सितम्बर 2026। विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। शहरों में आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण के साथ नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है,ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। हमारे प्रदेश की प्राकृतिक संपदा,मानव संसाधन और अपार संभावनाओं का उपयोग कर हम सब मिलकर एक समृद्ध,सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर जिले के नगर निगम बीरगांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के साथ ही क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए लगभग 110 करोड़ रुपये के नवीन विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीरगांव तेजी से विकसित हो रहा शहरी क्षेत्र है। औद्योगिक गतिविधियों और बढ़ती आबादी के अनुरूप यहां सड़क,पेयजल,स्वच्छता,सीवरेज,खेल सुविधाओं और अन्य नागरिक अधोसंरचनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पित और भूमिपूजन किए गए विकास कार्यों में नगर निगम से संबंधित 94 करोड़ रुपये से अधिक तथा लोक निर्माण विभाग के 38 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही नगरोत्थान योजना के अंतर्गत लगभग 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों के पूरा होने से बीरगांव और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, पेयजल,स्वच्छता, खेल अधोसंरचना सहित अनेक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें बीरगांव भी शामिल है। स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सुनियोजित, समन्वित और दीर्घकालीन विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसका लाभ आने वाले वर्षों में बीरगांव को भी मिलेगा और यहां आधुनिक शहरी अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी।

गरीब,महिला,श्रमिक और जरूरतमंद परिवारों का कल्याण हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गरीब,महिला,श्रमिक,किसान,युवा और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना की 31 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि माताओं-बहनों को प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 5.60 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाने के साथ चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ किया गया है। रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बड़ी बाधा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस तथा स्थानीय नागरिकों के सहयोग से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुले हैं,जो लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। यहां प्रचुर खनिज और वन संपदा है,धरती उर्वर है और यहां के लोगों में अपार सामर्थ्य है। इन संसाधनों और क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में छत्तीसगढ़ को अग्रणी भूमिका निभानी है और इसके लिए हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है।

आयुर्वेद हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन और समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन कर आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, आयुर्वेद के प्रति जागरूक रहने और इसके वैज्ञानिक एवं पारंपरिक ज्ञान का लाभ लेने का आग्रह किया।

बीरगांव के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बीरगांव के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। झमाझम बारिश के बीच बीरगांव में विकास की भी झमाझम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्षेत्र को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इन कार्यों से बीरगांव को स्वच्छ,सुंदर,सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त शहर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीरगांव के सुनियोजित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। विधायक मोतीलाल साहू भी क्षेत्र की आवश्यकताओं और विकास कार्यों को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। पिछले ढाई वर्षों में नगर निगम बीरगांव क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिनमें लगभग 90 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

मंत्रालय कर्मचारियों से भरी बस में अचानक लगी आग

चलती बस में धुआं उठते मची अफरा-तफरी, 30 से ज्यादा कर्मचारी थे सवार,कूदकर बचाई जान

रायपुर,23 सितम्बर 2026। नवा रायपुर में महानदी भवन के पास कर्मचारियों से भरी बस में बुधवार को अचानक आग लग गई। चलती बस में आग लगते ही बस में सवार कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। बस में 30 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। आग बढ़ती देख कर्मचारियों ने तुरंत बस से बाहर निकलना शुरू किया। कुछ कर्मचारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में सभी यात्री बाल-बाल बच गए। सभी कर्मचारी ऑफिस से घर लौट रहे थे। घटना राखी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बस में लगी आग बुझाने में जुट गई। वहीं, हादसे के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस महानदी भवन के पास पहुंची ही थी कि अचानक इंजन और पीछे के हिस्से से तेज धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते बस में आग लग गई और कुछ ही देर में लपटें तेज हो गईं। बस के अंदर बैठे कर्मचारियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। धुआं इतना भर गया कि उनका दम घुटने लगा। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी।

छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 4 की मौत, 2 घायल

रायपुर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई, अगले 4 दिन मौसम रहेगा खराब...

रायपुर,23 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगह बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला बालोद जिले का है, जहां खेत में काम कर रही महिला ने बिजली की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के पथराटोला गांव में हुआ। महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। हादसे में अनुसुइया बाई (40) ने मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा मामला कांकेर जिले का है। बिजली गिरने से 52 साल के किसान रामसिंह मंडावी की मौत हो गई है। घटना दुर्गूकोंदल ब्लॉक के ग्राम गुड़फेल की है। रामसिंह मंडावी अपने खेत पर काम करने गए थे। शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम बदला और तेज गरज के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए रामसिंह खेत में लगे जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। तभी अचानक पेड़ के पास बिजली गिरी। तीसरी घटना बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र की है। यहां बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना सुरहोली-कुसमी मार्ग पर एक तालाब के पास हुई। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी मनोज राजवंशी और जगदीश राजवंशी के रूप में हुई है। दोनों मजदूर सुरहोली में टावर लगाने का काम कर रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे वे मोटरसाइकिल से नाश्ता लेने कुसमी की ओर निकले थे। इसी दौरान इलाके में तेज बारिश के साथ बिजली गिरी।दोनों मजदूर तालाब के पास बरगद के पेड़ के नीचे मृत पाए गए।

रायपुर में भी गरज-चमक के साथ बारिश : बुधवार दोपहर राजधानी रायपुर में अचानक मौसम बदला और गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में ऑरेंज और 25 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। राजनांदगांव, बालोद,बीजापुर,सुकमा और कांकेर में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका है। धमतरी,गरियाबंद और महासमुंद में 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं।

बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के असर से प्रदेश में नमी बढ़ रही है, इससे बारिश और आंधी की एक्टिविटी बढ़ रही है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बलरामपुर,कोरिया समेत 25 जिलों में हल्की बारिश के साथ अंधड़ की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज सुबह बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट से टकरा सकता है।

सांसद फूलो देवी और विधायक मरकाम का वॉट्सऐप हैक...साइबर ठगों ने परिचितों से 65 हजार मांगे,2 घंटे में लौटाने की बात कही

कोंडागांव,23 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और विधायक तुलेश्वर मरकाम का फोन हैक हुआ है। बुधवार को फूलो देवी नेताम के वॉट्सऐप नंबर से साइबर ठगों ने परिचितों को मैसेज कर पैसे मांगे। हैकर ने 65 हजार की मांग की और अगले 2 घंटे में लौटाने की बात कही। सांसद ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज, कॉल, लिंक या पैसे मांगने वाले मैसेज पर भरोसा न करें। वहीं, कोरबा के पाली-तानाखार विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम को भी साइबर ठगों ने निशाना बनाया है। उनके वॉट्सऐप नंबर से परिचितों, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को पैसे मांगने वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं। मैसेज में 76 हजार रुपए की अर्जेंट जरूरत बताई जा रही है। फिलहाल, पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

सड़क सुरक्षा अभियान में सीएम साय की पहल

रायपुर पुलिस के नए प्रयासों की ली जानकारी,ट्रैफिक हैकथॉन की तारीफ की

रायपुर,23 सितम्बर 2026। सड़क सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़क सुरक्षा संकल्प पोस्टर पर हस्ताक्षर कर सुरक्षित यातायात का संकल्प लिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यातायात जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों और किए जा रहे नए प्रयासों की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ट्रैफिक हैकथॉन 2026 अभियान के बारे में भी बताया। इसमें तकनीक और लोगों की भागीदारी के जरिए सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर सावधानी से चलें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

GST Section 74 पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

शो-कॉज नोटिस में 'धोखाधड़ी' लिखना काफी नहीं,बताने होंगे ठोस तथ्य...

बिलासपुर,23 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीएसटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि केवल 'धोखाधड़ी', 'जानबूझकर गलत बयान'या 'तथ्यों को छिपाने' जैसे कानूनी शब्दों का उल्लेख कर जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत विस्तारित अवधि में कार्रवाई नहीं की जा सकती। संबंधित शो-कॉज नोटिस में उन तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है, जिनके आधार पर इन आरोपों का निष्कर्ष निकाला गया है। यह फैसला श्री हनुमंत स्टील ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम राज्य जीएसटी प्राधिकरण मामले में आया है। हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2026 को WPT Nos.11, 12 और 15 of 2026 में सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर 2025 को जारी धारा 74(9) के नोटिसों को निरस्त कर दिया।

केवल कानूनी शब्दों की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं : अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शो-कॉज नोटिस में केवल 'फ्रॉड', 'विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन' या 'सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स' जैसे वैधानिक शब्दों को दोहराना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इन आरोपों के पीछे मौजूद मूल और ठोस तथ्यों का उल्लेख नोटिस में होना चाहिए। अर्थात, यदि विभाग धारा 74 के तहत विस्तारित अवधि का सहारा ले रहा है, तो नोटिस से यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने की बात सामने आती है।

प्राधिकरण को दिखानी होगी 'एप्लीकेशन ऑफ माइंड' : हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि नोटिस जारी करने वाले प्राधिकरण की ओर से 'एप्लीकेशन ऑफ माइंड' दिखाई देना जरूरी है। नोटिस में पर्याप्त कारण और तथ्य होने चाहिए,ताकि यह स्पष्ट हो सके कि धारा 74 लागू करने का आधार क्या है। अदालत के अनुसार,केवल वैधानिक शब्दावली दोहराकर जारी किया गया अस्पष्ट या गैर-वक्तव्यात्मक नोटिस विस्तारित अवधि में कार्रवाई को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

विभाग को नए नोटिस का रास्ता खुला : हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को जारी संबंधित धारा 74(9) के नोटिसों को निरस्त कर दिया। हालांकि, अदालत ने विभाग को कानून के अनुरूप आवश्यक तथ्यों और आधारों के साथ नए नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी है।

कारोबारियों के लिए क्या मायने?

इस फैसले से यह महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जीएसटी कानून की धारा 74 के तहत कार्रवाई करते समय विभाग को केवल आरोपों की कानूनी भाषा का इस्तेमाल करने के बजाय उनके समर्थन में विशिष्ट तथ्य और स्पष्ट आधार बताने होंगे। सरल शब्दों में,किसी करदाता पर सिर्फ यह आरोप लगा देना कि उसने 'फ्रॉड किया','जानबूझकर गलत जानकारी दी'या 'तथ्य छिपाए',पर्याप्त नहीं होगा। नोटिस में यह भी बताया जाना जरूरी है कि ऐसा निष्कर्ष किन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निकाला गया है।

रायपुर में 14.555 किलो गांजा जब्त,4 गिरफ्तार

पान मसाला की पैकिंग और टेप में छिपाकर रखी थी गांजे की खेप

रायपुर,23 सितम्बर 2026। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने 48 घंटे के भीतर तीन थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। सरस्वती नगर,कबीर नगर और टिकरापारा पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कुल 14.555 किलो गांजा जब्त किया। कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने गांजे के साथ ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 9.56 लाख रुपए बताई गई है। सरस्वती नगर पुलिस को 22 सितंबर को सूचना मिली थी कि कोटा के वाटिका नगर खाली मैदान के पास ई-रिक्शा में दो लोग गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में 'मधुबन पान मसाला सजल' लिखी पैकिंग के अंदर टेप में लिपटा 9.440 किलो गांजा मिला। पुलिस ने गांजे के साथ ई-रिक्शा भी जब्त किया है। जब्त सामान की कीमत करीब 7.50 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में ईशु दास क्षत्रिय (44) और संजु महानंद (27) को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कबीर नगर पुलिस ने फेस-04 इलाके में कार्रवाई कर 2.615 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने मौके से 24 वर्षीय गुरमीत मार्कण्डेय को गिरफ्तार किया। उसके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक भी पकड़ा गया है। पुलिस ने गांजे के साथ दो मोबाइल फोन और एक TVS Raider बाइक जब्त की है। जब्त सामान की कीमत करीब 81,500 रुपए बताई गई है।

बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई...अशोक नगर और चिल्हाटी में सड़कें तोड़ीं गईं

बिलासपुर,23 सितम्बर 2026। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम ने चिल्हाटी और अशोक नगर में अवैध प्लाटिंग के लिए बनाई गईं कांक्रीट सड़कें बुलडोजर से तोड़ दीं। चिल्हाटी चौक पर बिना पार्किंग बनीं तीन दुकानों को सील किया गया। वहीं, धान मंडी रोड मोपका में बिना लेआउट बनाए जा रहे तीन मकानों के सामने का हिस्सा भी तोड़ा गया। निगम में पिछले कुछ सालों में 18 पंचायत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके बाद इन इलाकों में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। निगम के आठों जोन में शिकायत थी कि बिना लेआउट और डायवर्सन के खेतों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। प्लॉट खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अवैध प्लाटिंग वाली जगहों पर कांक्रीट सड़कें भी बनाई जा रही थीं।

अशोक नगर और चिल्हाटी में सड़कें तोड़ीं : अशोक नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे अनिल अग्रवाल की करीब पौन एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी। चिल्हाटी में नारद वर्मा की करीब दो से ढाई एकड़ जमीन पर भी ऐसी ही शिकायत सामने आई थी। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ते और जोन की टीम ने दोनों जगह कार्रवाई की। टीम ने अवैध प्लाटिंग के लिए बनाई गईं कांक्रीट सड़कों को बुलडोजर से उखाड़ दिया।

बिना पार्किंग बनीं तीन दुकानें सील : भवन अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया कि चिल्हाटी चौक पर लता पटेल ने रोड किनारे तीन दुकानें बनाई थीं। इनमें पार्किंग की सुविधा नहीं थी। निगम ने तीनों दुकानों को सील कर दिया।

बिना लेआउट बन रहे तीन मकानों का हिस्सा तोड़ा : धान मंडी रोड मोपका में मनीष उभरानी बिना लेआउट के तीन मकान बना रहे थे। निगम के अनुसार, मकान बेचने के इरादे से बनाए जा रहे थे। निगम की टीम ने तीनों मकानों के सामने का हिस्सा बुलडोजर से तोड़ दिया।

निगम प्रशासन ने चारों मामलों में संबंधित मकान और प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नियमों के उल्लंघन पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम के अनुसार,छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(ग)(2) और छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निबंधन एवं शर्तें) नियम 2013 के नियम 03,10 और 13 का उल्लंघन पाया गया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)